





कॉमरेड बी माधव

सीटू ने, 2002 से 2010 तक सीटू की कर्नाटक राज्य कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.बी.डब्ल्यू.एफ.) के अध्यक्ष रहे कॉमरेड बी. माधव (83) के निधन पर दुख व्यक्त किया है। 19 जून, 2019 को लंबी बीमारी के बाद मैंगलोर में उनका निधन हो गया। वह सीटू की कार्यसमिति के सदस्य थे। कॉमरेड माधव माकपा के राज्य सचिवमंडल के सदस्य थे।

कॉमरेड माधव ने एलआईसी में एक युवा कर्मचारी के रूप में अपनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों की शुरुआत की और वह एआईआईईए के उडिपी जोन के अध्यक्ष और दक्षिण जोन के उपाध्यक्ष थे। वह इलाके में बीड़ी मजदूरों को संगठित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और जल्द ही कर्नाटक में बीड़ी मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष के रूप में बीड़ी मजदूरों के नेता बन गए।

कॉमरेड माधव सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में भी सक्रिय थे और उन्होंने मैंगलोर में, कुख्यात 'मदेसना' जिसमें उच्च जाति के लोगों द्वारा छोड़े भोजन पर निचली जाति के लोगों के लेटने की प्रथा थी, के खिलाफ सहित अनेक आंदोलनों का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया था। उन्हे गहरा ज्ञान था और उन्होंने ए.के. गोपालन की आत्मकथा सहित कई पुस्तकों का अंग्रेजी से कन्नड़ में अनुवाद किया था।

कॉमरेड माधव के निधन से सीटू उसकी कर्नाटक राज्य इकाई और ए.आई.बी.डब्ल्यू.एफ. के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। सीटू सचिवमंडल उनके सभी साथियों और परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है।

मुद्दा राज्यसभा में उठाया

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का संचालन केरल सरकार करना चाहती है

एनडीए सरकार ने लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर और अहमदाबाद के 5 हवाई अड्डों का निजीकरण कर इन हवाई अड्डों को वह अडानी समूह को सौंपने का फैसला किया है। 24 जून को शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए, सीपीआई (एम) के सांसद के.के. रागेश ने कहा कि केरल में एलडीएफ सरकार तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को संभालने के लिए तैयार है। (वर्किंग क्लास; अप्रैल, 2019)

उन्होंने कहा कि "यह खेदजनक है कि नीलामी में राज्य सरकार को अडानी समूह के समान ही माना जा रहा है।" जब हवाई अड्डे की स्थापना की गई थी उस समय जमीन राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, इसलिए उसके संचालन का हक राज्य सरकार को पहले है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में नीति आयोग की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस बारे में बताया और उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय सम्पत्ति का निजीकरण किया जा रहा है।" उन्होंने पूछा कि "तिरुवनंतपुरम एक लाभ कमाने वाला हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा अडानी समूह को क्यों दिया जा रहा है?"

सम्पादकीय

जीवंत सम्बन्ध बनाओ और विस्तार करो

सीटू मजदूर

I hvkbVh; w dk eq[ki =

जुलाई 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

I hvw ds 50 o"kl
vkxs dh pukfr; ka
& , -ds i uukhku
etnj&fdl ku xBtkM
ds fy, I #k'kl
& glluku eklyk
i V/fy; e etnj, dh , drk
o I #k'kl dh xlFkk
&Lons k nojkw
etnj, dh u; ure oru de
djus ds fy, vkb , y vls us
eknh I jdkj I s gkfk feyk; k
& ts, I - etenjk
jkt; ka s
vrjk'Vh;
&ofVwegrk fpo dk Hk"k. k
&vkb , y vls o oustq yk
&ts, I - etenjk
mi HkDrk ew; I pdkld

5

8

13

17

20

23

26

ns k dh I cl s cM jktuhfrd dok; n] gky gh es I a uu gq
17th ykdl Hkk ds puko ijh rjg I svjktuhfrd cu dj jg
x; A

foe'kl vkj ekgkSy dks & [kkl dj dkQh yEch pykbz x; h
pukoh ÁfØ; k es & , d prjkbz wkl/kurk esnfy fn; k x; kA
turk ds ToyR I okykl tu fojkjh uhfr; kl I jdkj dh
foQyrkvk dh txg] gj rjQ fgUnw i gpku dkj I kEÁnkf; d
vkj tkfr vk/kkfj r foHkk tuka ds bLrsk yk dkj dñae es yk
fn; k x; kA

i thoknh fo'o es vrjk'Vh; i th dh cukbz ns k vk/kkfj r
uomnkj oknh vkkFkd vkj fo?kVudkj h uhfr; kadsprjs jktuhfr
es vk; s nf{k. kkl#>ku dk , d vkj , tMk gq ; kstukc)
rjhds I sturk dk vjktuhfrdjk djusdk , tMkA dkj i kj
ehfM; k i jy ne[ke ds I kfk bl s i jk djus es yxk gq gA

II
fi Nysok'gq vurd fdI ku ekpz o ekpz vkj tuedka dks dñnz
es j [krsgq ^eknh gVkvks* ds ukj s ds I kfk bl I ky gq 8&9
tuojh dh ns k0; kih ejdeey gMfrky bl ckr dk mnkgj . k gq
fd etnj] fdI ku vkj egurd'k voke vi us ToyR edka ds
Áfr I pr gq vkj ml us vi uh fojkV Hkkxhnkj h ds I kfk bu
ToyR I okyka dks ftnk cuk; s j [kka bl I cds ckotin vke
puko ijh rjg vjktuhfrd cu dj jg x; A tuedka vkj
^eknh gVkvks* ds ukj s dks bu pukoka es rj thg ugha fey
I dhA VSM ; fu; ukdks bl I kQ&I kQ vrfoj kskh fLFkfr dk
tcko <kuk gkskA

III
ejk vk/kkfj r ykecfn; ka dh ekstunk fLFkfr dks thor I a dk
ds I kaxBfud I a kka esnfy us dh vko'; drk gq bl ds fy,
I a Bu ij rRdky /; ku nus dh t#jr gq [kkl rkj I s; fu; uk
dks ftuds etnj, ka ds I kfk ÁR; {k nñfmu I a dñ gq mUgs ; g
dke Qkj h dkeka es 'kkfey djuk gkskA vkt dh i fj fLFkfr; k
; fu; ukdks ds tfj, voke ds chp rsth I s I q'khdj. k vkj
folrkj dh Hkh ekx dj rh gq I ns k dks VSM ; fu; u dk; bdrkA/ka
vkj muds tfj; svke etnj, ka & muds i fjojkj karFkk vke yksk
ds vU; rcdka rd i gokus dh ekx dj rh gq fl QZ bPNk ; k
dkeuk dkQh ugha gq pukfr; kdk I keuk djus ds fy, vey
vkj ml dh I eh{kk vko'; d gq

मोदी सरकार 2

‘बिंग बैंग’ आर्थिक सुधार

“भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में, ‘बिंग-बैंग’ आर्थिक सुधारों का एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों को खुश करेगा ऐसी संभावना है।

“नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जो सीधे मोदी को रिपोर्ट करते हैं के अनुसार सुधारों में श्रम कानूनों में बदलाव, निजीकरण के कदम और नए औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंकों का निर्माण शामिल होगा।

“उनके (विदेशी निवेशक) पास खुश होने के लिए कारण होंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप उन सुधारों को देखेंगे। कुमार ने एक साक्षात्कार में रॉयटर्स को बताया, “हम मैदान में बहुत हिट हो रहे हैं।” (रायटर, 31 मई, 2019)

बिंग बैंग

“घोषित की गयी भारत की आर्थिक विकास दर पाँच तिमाहियों के मुकाबले कम होकर 2018 की आखिरी तिमाही में 6.6% रह गई, और खपत में तेज गिरावट के कारण जनवरी-मार्च की तिमाही में इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है।”

“हमें (बैंकों से शुरू होना चाहिए) . . . बड़ा धमाका होगा, 100 दिन की कार्रवाई होगी।” (रायटर, 31 मई, 2019)

मोदी सरकार 2

‘बिंग बैंग’ आर्थिक सुधार

निजीकरण

“नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहते हैं, भारत आने वाले महीनों में 46 सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या उन्हे बंद कर सकता है” – (शीर्षक)

“कुमार ने कहा कि सरकार आने वाले महीनों में 42 से अधिक राज्य-नियंत्रित कंपनियों को पूरी तरह से निजीकरण या उन्हे बंद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार घाटे में चल रहे राज्य के स्वामित्व वाले प्रमुख वाहक एयर इंडिया पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा को हटाना भी आसान कर रही है, ताकि इसे बेचना आसान हो सके।

कुमार ने यह भी कहा कि यह एक स्वायत्त होल्डिंग कंपनी बना सकता है जो राज्य के स्वामित्व वाली सभी कंपनियों को नियंत्रित करेगी और बहुत से विभिन्न मंत्रालयों के जवाबदेह नहीं होगी। यह केंद्र सरकार की नौकरशाही के अधिकांश हिस्से से बचते हुए, संपत्ति की बिक्री के लिए निर्णय लेने में तेजी लाएगा। (रायटर, 31 मई, 2019)



“46 सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या बंद करने का मतलब, उन पीएसयू के साथ आगे या पीछे जुड़ी हजारों सहायक ईकाईयों को भी बंद करना है; और देशी-विदेशी दोनों के निपटान में निजी कॉरपोरेट और रियल एस्टेट कंपनियों को विशाल भूमि संपत्ति का कब्जा देना है।

“सरकार शपथ लेने के साथ ही बिना समय गंवाए, अपने देशी-विदेशी कारपोरेट्स् दोनों की वासना और लालच की संतुष्टि के लिए अपनी विनाशकारी और गैर-औद्योगिकरण परियोजना के माध्यम से अपने नुकीले पंजों के साथ बाहर आ गई है।

“मजदूर वर्ग के आन्दोलन को इस अवसर पर उठ खड़ा होना चाहिए और एकजुट होकर जमकर विरोध करना चाहिए। (सीटू महासचिव तपन सेन, 31 मई, 2019)

मजदूर वर्ग की एकता के लिए लड़ाई के 50 वर्ष

सीटू के 50 साल; आगे की चुनौतियाँ

ए.के. पश्चनाभन

इस साल 30 मई को सीटू के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत हो गयी है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) का गठन कोलकाता के लेनिन नगर में उसके अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया था। सम्मेलन को एक आयोजन समिति द्वारा बुलाया गया था जिसमें तत्कालीन एटक के कई राष्ट्रीय नेता शामिल थे।

भारतीय मजदूर वर्ग के प्रमुख संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए, नेताओं का यह तबका डेढ़ दशक से अधिक समय से एटक के भीतर संघर्ष कर रहा था। 1960 के दशक में कामकाजी जनता के विभिन्न तबकों के संघर्ष को तेज किया; मजदूरों के खिलाफ गंभीर हमले हो रहे थे। मजदूरों के संघर्ष के लिए आगे आने के बावजूद, नेतृत्व संघर्षों के लिए सहमत नहीं था और सहयोग के रास्ते को अमल में लाया जा रहा था। नेतृत्व का एक तबका इस सहयोग की नीति के खिलाफ था, जिसमें पी. राममूर्ति, बी.टी. रणदिवे, ज्योति बसु और अन्य शामिल थे, इन्होंने संघर्ष का संचालन किया। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तो अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

27 मई 1970 से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगों और सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चार दिनों तक गहन विचार-विमर्श के बाद, एक नया केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ बनाने का निर्णय लिया गया और नाम दिया गया "सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (संक्षेप में सीटू)"। नये नेतृत्व में बी.टी. रणदिवे अध्यक्ष के रूप में, महासचिव के रूप में पी. राममूर्ति और कोषाध्यक्ष के रूप में कमल सरकार को चुना गया। इस स्थापना सम्मेलन की ऐतिहासिक कार्यवाही का प्रभाव उन सभी लोगों पर जीवन भर रहेगा जो उसमें मौजूद थे और मेरे लिए भी, यह अविस्मरणीय रहेगा।

जिस समय यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह भारतीय मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के अन्य सभी तबकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के चौथे आम चुनाव 1967 में हुए। पहली बार, 8 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारें थीं; और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में दक्षिणपंथी नीतियों वाले दलों की सरकारें थीं और तमिलनाडु और बिहार में सरकारें का क्षेत्रीय दलों ने नेतृत्व किया।

चुनाव के बाद की अवधि में भी कामकाजी लोगों के संघर्ष का व्यापक प्रसार देखने को मिला; मजदूरों के साथ-साथ किसानों और खेत मजदूरों ने देश के विभिन्न हिस्सों में जुझारु संघर्षों को अंजाम दिया और उनके खिलाफ आतंक कम होने दिया गया। राजनीतिक हमले भी वर्गान्तर संगठनों के खिलाफ और पश्चिम बंगाल तथा बाद में केरल में वाम-नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ किए गए थे।

शासक वर्ग की पार्टियों के भीतर भी आंतरिक संघर्ष थे, जिसके परिणामस्वरूप बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन हुआ।

जब सम्मेलन कोलकाता में हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष चल रहा था। कामरेड ज्योति बसु राज्य में दो संयुक्त मोर्चा सरकारों में उप मुख्यमंत्री थे। विभिन्न समूहों और दलों और केंद्र सरकार के घड़यंत्रकारी प्रयासों के बाद दोनों सरकारों को एक छोटी अवधि के भीतर खारिज कर दिया गया था।

नया उत्साह

एक नए केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ के गठन और "एकता और संघर्ष" के आव्वान की खबर ने पूरे देश में संघर्षरत मजदूरों को उत्साहित किया। सीटू और उसके लाल झंडे के साथ हथौड़ा और दरांती और प्रतीक के बगल में खड़े चार अक्षर को लेकर जब भी कामकाजी जनता संघर्ष करती तो झंडा ऊंचा फहराने लगता।

सीटू ने भारतीय मजदूर वर्ग से अपनी एकता को मजबूत करने और शोषण को समाप्त करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष को तेज करने का आव्वान किया था। संघर्षरत मजदूरों पर इस आव्वान का अपना प्रभाव था। सभी तबकों के संघर्षों को दूसरों से एकजुटता मिली और भारत की सड़कों पर एकता और संघर्ष के नारे के साथ पुनर्जन्म लिया। एकता संघर्षों को मजबूत करने के लिए है। इस पर सीटू द्वारा बार—बार जोर दिया गया था। और इसे रेखांकित करने के लिए, सम्मेलन से राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई का पहला आव्वान एक एकता सप्ताह था, जिसे पूरे देश में मनाया जाना था। जिन लोगों ने यह कहते हुए इस आव्वान का उपहास करने की कोशिश की कि जिन्होंने एकता को तोड़ दिया, वे एकता सप्ताह का आव्वान कर रहे हैं, कोलकाता में लेनिन नगर से निकलने वाले इस आव्वान का शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिला।

सीटू ने जोर दिया कि वह वर्गीय एकता और वर्ग संघर्ष को बनाए रखेगा और सभी प्रकार के वर्ग सहयोगी विचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। सीटू के पास भारतीय समाज के भविष्य के बारे में भी स्पष्ट दृष्टि है। इस दृष्टि को इसके संविधान में वर्णित किया गया था – “सीटू का मानना है कि उत्पादन और विनियम के सभी साधनों का सामाजिककरण करके और एक समाजवादी राज्य की स्थापना करके ही मजदूर वर्ग के शोषण को समाप्त किया जा सकता है। समाजवाद के आदर्शों को तेजी से रखते हुए, सीटू सभी तरह के शोषण से समाज की पूरी मुक्ति के लिए खड़ा है”। मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोग के रास्ते पर ले जाने के सभी प्रयासों को पीछे हटाने के लिए इस स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ संकल्प के साथ है, सीटू सभी प्रकार के दमन और उत्पीड़न का सामना करते हुए इसे लेकर आगे बढ़ा है।

पिछले पचास वर्षों के दौरान सीटू द्वारा इसके स्थापना सम्मेलन से ली गयी जिम्मेदारी के प्रति कामकाजी जनता के दृढ़ संकल्प को देखा है। देश के मजदूर वर्ग को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास किए गए। खुद केंद्र सरकार ने अपने श्रम मंत्री की पहल से सीटू को अलग-थलग करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एन.सी.टी.यू.) का गठन किया। लेकिन सीटू ने अपने वर्गानुस्खीकरण के साथ, उन संगठनों के साथ जो सीटू के साथ सहयोग करने और संघर्षों को तेज करने के लिए तैयार थे, को लेकर यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (यूसीटीयू) के रूप में वैकल्पिक मंच बनाने का प्रयास किया।

उस समय से लेकर, सीटू मेहनतकशों को एकजुट करने और संघर्षों के लिए किये जाने वाले प्रयासों में सबसे आगे रहा है। 1974 में, रेलवे कर्मचारियों की ऐतिहासिक देशव्यापी आम हड़ताल हुई। एक संयुक्त समिति – नेशनल कोआर्डीनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मैन (एन.सी.सी.आर.एस.) का गठन किया गया। इंटक को छोड़कर, अन्य सभी प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन इस कमेटी का हिस्सा थे। नेशनल कैम्पेन कमेटी, स्पॉन्सिरिंग कमेटी ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स, नेशनल प्लेटफार्म ऑफ मास आर्गनाइजेशन्स जैसे कई मंच और 2009 के बाद, किसी भी विशिष्ट नाम के बिना, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त मंच का गठन किया जा सका है और राष्ट्रव्यापी हड़तालें एवं संघर्षों का आयोजन किया गया।

मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की मांगों के एक माँग-पत्र पर, 19 जनवरी 1982 को पहली देशव्यापी आम हड़ताल के साथ, देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस पहली देशव्यापी कार्रवाई के दिन विभिन्न राज्यों में किसानों, खेत मजदूरों और छात्रों सहित 10 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही, विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रीय स्तर पर देशव्यापी हड़तालें, दिल्ली के लिए कूच, घोराव, न्यायिक गिरपतारी कार्यक्रम शुरू किये गये।

नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष

1991 से नवउदारवादी नीतियों के आगमन के साथ, सीटू ने हड़ताल सहित देशव्यापी कार्रवाइयों के लिए कदम उठाए और पहली हड़ताल 23 नवंबर 1991 को हुई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय, देशव्यापी और क्षेत्रीय हड़तालें भी हुईं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा, परिवहन, बिजली, राज्य और केंद्र सरकारों के कर्मचारी, मेडीकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेटिव्स, योजना मजदूर, निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित मजदूरों ने इस अवधि के दौरान एकजुट संघर्ष किये हैं। हालांकि एक या दो केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन संयुक्त मंच से अंदर और बाहर चले गए, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट आंदोलन जारी रहा; और इस वर्ष, 8–9 जनवरी को, देश भर में 48 घंटे की आम हड़ताल में 20 करोड़ से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। 1991 के बाद यह 18^{वीं} देशव्यापी हड़ताल थी।

1991 के बाद की अवधि, मजदूरों के कड़े संघर्षों से हासिल अधिकारों पर भयावह हमलों का दौर रही है। इस अवधि में, जब भारतीय ट्रेड यूनियनें देश में औपचारिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के गठन के 100 साल (मद्रास लेबर यूनियन, पहली औपचारिक ट्रेड यूनियन अप्रैल 1918 में बनी थी) मना रहा है तो यहाँ तक कि मजदूरों की पसंद की ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार पर भी हमला है। यूनियन बनाने के अपने प्रयासों के लिए सैकड़ों मजदूर पीड़ित हैं। यहाँ तक कि, जब सरकार और नियोक्ता ‘अत्यधिक श्रम विधानों’ की

बात करते हैं, तो भी ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को सुनिश्चित करने की माँग अभी भी भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के माँग—पत्र में एक प्रमुख माँग है।

भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के 100 वर्षों की महान परंपराओं को कायम रखते हुए सीटू अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रदेश कर रहा है। सीटू उन मजदूरों और उनके नेताओं को याद करता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, देश की एकता और अखंडता के लिए और मजदूरों के अधिकारों के लिए अपना जीवन लगा दिया। इन्हें ध्यान में रखते हुए और 50 साल पहले अपनाए गए दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ, सीटू ने “वर्गीय—एकता की लड़ाई के 50 साल; 100 वर्षों के संघर्षों और बलिदानों की विरासत को जारी रखने” के स्वर्ण जयंती वर्ष के नारों को अपनाया है।

सीटू पूरी तरह से जानता है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है और बहुत सारी गंभीर चुनौतियों से पार पाना है। बहुत से संगठनात्मक कमजोरियों को सुधारने की आवश्यकता है और पहले से ही इनकी पहचान की जा चुकी है और आवश्यक जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

आगे की चुनौतियाँ

जब हम जश्न शुरू कर रहे हैं, तब 17^{वीं} लोक सभा के चुनाव के बाद, आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदीनीत नई सरकार आ गयी है। सीटू भारतीय मजदूर वर्ग के समक्ष स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। जब हम एकता और संघर्ष का नारा बुलंद करते हैं, तो देश में सत्तासीन ताकतों का एजेंडा उसके विपरीत होता है, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में मजदूरों और कर्मचारियों की तीन देशव्यापी हड़तालें और संघर्ष देखने को मिली हैं। देश में किसान संघर्ष पर थे, और उत्साह की एक नई लहर पैदा कर रहे थे। कामकाजी जनता और सभी शोषित वर्गों के तबकों के संघर्षों को अधिक एकजुटता के साथ आगे तक ले जाना आज के समय की आवश्यकता है।

मजदूर वर्ग को, वर्ग संघर्षों की एकता और गहनता को मजबूत करते हुए, उन पर आयद वैचारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए, हम मेहनतकश जनता के उन सभी तबकों तक अपनी बात पहुँचाएं, उनके समक्ष शोषण मुक्त भारत के बुलंद आदर्शों को प्रस्तुत करें, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। उन सभी जरूरी कामों को ठीक करना चाहिए, ताकि हम वर्गीय एकता को हासिल कर सकें। इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक वर्ष के उत्सव की एक अच्छी शुरुआत करें।

नोटिस

सीटू जनरल काउंसिल की बैठक

हासन: 7-10 अगस्त, 2019

मीटिंग स्थल : डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, हर्षा महल रोड, हासन

टिप्पणी:

1. मीटिंग स्थल : मुख्य बस अड्डे से लगभग 1 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है।
2. हासन पहुँचने पर सम्पर्क व्यक्ति : धर्मेश – 09448220402; नवीन – 09448702074
3. सफर : बैंगलुरु में यशवंतपुर से हासन; नॉन-स्टॉप बसें – बैंगलुरु से हासन
4. निवास स्थल : बहुल, मीटिंग स्थल से टहलने की दूरी पर। परिवार के साथ आने वाले साथियों के अनुरोध पर निवास की अलग व्यवस्था की जा सकती है, जिसका मूल्य सदस्य को वहन करना होगा।

सहायता के लिए : सम्पर्क – एस. वरालक्ष्मी (09448087189), मीनाक्षी सुन्दरम् (09448070267);

Email. : citukar@gmail.com

-स्वागत समिति

संघर्ष व बलिदान के 100 वर्ष

मजदूर वर्ग की एकता के लिए लड़ाई के 50 वर्ष

मजदूर-किसान गठजोड़ के लिए संघर्ष

हनान मोल्ला

मजदूर-किसान गठजोड़ की क्रांतिकारी समझ

अक्टूबर क्रांति ने यह सबक दिया कि पूँजीवाद की ओर देर से आने वाले देशों में नई उभरती बुर्जुवाजी, सामंती व्यवस्था के विरुद्ध उस रूप में बुर्जुवा क्रांति को संपूर्ण करने में सक्षम नहीं थी जिस तरह बुर्जुवाजी ने 1789 की फ्रांस की क्रांति में किया था। ऐसा इसलिए था कि इसके समक्ष मौजूद नई परिस्थिति में यह इस बात से डरी हुई थी कि सामंती संपत्ति पर प्रहार कुल मिलाकर बुर्जुवा संपत्ति पर ही प्रहार के रूप में उलटा पड़ सकता था। इसलिए उसने पुरानी सामंती व्यवस्था से समझौता किया जिसका मतलब था कि बुर्जुवा क्रांति को आगे ले जाने वाले कार्य विशेषकर किसानों को सामंती जकड़ से मुक्त करने का कार्य अब इन देशों के सर्वहारा के कंधों पर आ गया जबकि उनकी संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कम थी और ऐतिहासिक परिदृश्य में उनकी उपस्थिति बाद में दर्ज हुई थी। “इसने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में एक मजदूर-किसान गठजोड़ को जरूरी बनाया। लेकिन ऐसा गठजोड़ सामंती व्यवस्था के विरुद्ध बुर्जुवा क्रांति को आगे बढ़ाते हुए वही नहीं रुक सकता था। मजदूर वर्ग बुर्जुवा क्रांति करते हुए एक बेरोकटोक क्रांतिकारी प्रक्रिया में जाहिर तौर पर समाजवाद की ओर बढ़ेगा जिसके दौरान स्पष्ट ही मजदूर-किसान गठजोड़ के सटीक घटक बदलते रहेंगे।” इस स्पष्ट संदेश को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अपनी सेंद्रियिक समझदारी में आत्मसात करते हुए अमल के लिए सामने रखा गया।

इन कार्यों की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक था कि मजदूरों व किसानों को उनके जन संगठनों के माध्यम से एक वर्ग के रूप में संगठित किया जाये जिसके चलते वे सामंती भूस्वामी औपनिवेशिक व पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध वर्ग संघर्ष का निर्माण कर सकते हैं। ये संघर्ष, साम्राज्यवाद के विरुद्ध बढ़ते संघर्षों से जुड़े थे और इन्होंने देश की मेहनतकश जनता की चेतना को बढ़ाया। मजदूर-किसान संघर्षों का विकास हजारों क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की दशकों लंबी धैर्यपूर्ण कोशिशों से, विभिन्न चरणों से गुजरते हुए तथा कितनी ही सफलताओं व असफलताओं का सामना करते हुए हुआ।

औपनिवेशिक भारत में किसानों व मजदूरों के शुरुआती संघर्ष

भारत एक सामंती देश था जहाँ किसानों की आबादी का भारी बहुमत जमीदारों, सूदखोरों व सामंतों के शोषण का शिकार था। ऐसे सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों ने असंख्य संघर्ष किये थे। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर एक उपनिवेश के रूप में कब्जा कर लिया तब इस दोहरे शोषण के विरुद्ध भी किसानों के कितने ही स्वयंस्फूर्त संघर्ष व उभार हुए। इनमें से कई तो देश के अलग-अलग भागों में सशस्त्र प्रतिरोध के रूप में थे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष थे— तत्कालीन बिहार का संथाल सिपाही विद्रोह (1855–56), मालाबार का मोपला विद्रोह, तथा बंगाल का नील विद्रोह आदि। भूस्वामियों के खिलाफ किसानों का स्वयंस्फूर्त विरोध फूट पड़ा था। औपनिवेशिक शासकों ने देश के भीतर भूमि व्यवस्था को बदलकर पहले विश्व युद्ध तक शोषण को बहुत तेज कर दिया था।

युद्ध के बाद, आर्थिक संकट गहरा गया और इसका सबसे ज्यादा बोझ किसानों पर पड़ा। शोषण के विरुद्ध पंजाब, केरल, यूपी, बंगाल, बोम्बे, मद्रास रेजीडेंसियों में संघर्ष फैल गया। इसी दौर में कलकत्ता, बोम्बे, मद्रास की टेक्सटाईल व जूट मिलों के मजदूरों तथा उत्तर व पूर्वी रेलवे के मजदूरों, झारिया की कोयला खदानों, बोम्बे के पी एंड टी विभाग, असम के बगानों तथा कलकत्ता के ट्रामवे आदि के मजदूरों की बड़ी बड़ी कार्रवाईयों भी हुईं।

यूपी के चौरी चौरा में ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल थे। बाद में 1929–30 की विश्व आर्थिक मंदी के दौरान किसान भी भारी संकट में आ गये और कितने ही स्थानीय संघर्ष उन्होंने आयोजित किये। वे संघर्ष

स्थानीय नेताओं के द्वारा संगठित किये गये थे और इसी बीच देश के विभिन्न भागों में किसान संगठन के एक केन्द्रक का कुछ स्वरूप भी उभरा था।

ए.आइ.के.एस. का गठन तथा मजदूर-किसान गठजोड़ का निर्माण

आजादी के आंदोलन के साथ किसानों के संघर्ष जुड़े हुए तथा राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसानों को संगठित करने की जरूरत को समझा था। लेकिन, दक्षिणपंथी नेतृत्व जहाँ किसानों को एक अलग संगठन में संगठित करने के विचार का समर्थन नहीं कर रहा था वहीं भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के वामपंथी नेताओं ने इस बारे में पहल की और अंततः अखिल भारतीय किसान संघ, बाद में अखिल भारतीय किसान सभा (ए.आइ.के.एस.) की स्थापना 1936 में ए.आइ.सी.सी के लखनऊ अधिवेशन में हुई। किसान आंदोलन का उद्देश्य था आर्थिक शोषण से आजादी तथा किसानों, मजदूरों व अन्य सभी शोषित वर्गों के लिए पूर्ण आर्थिक व राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। अपने गया प्रस्ताव में ए.आइ.के.एस. ने संकल्प लिया था, “हमारे प्रत्येक किसान का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह गांवों व कस्बों में मजदूरों के साथ बिरादराना कायम करें। मजदूरों व किसानों को अपने आपसी लाभ के लिए साझे प्रयासों के द्वारा बहुत कुछ हासिल करना है।”

ए.आइ.के.एस. के झांडे पर हांसिये हथौडे के चिह्न के स्वीकार ने भी मजदूर-किसान गठजोड़ के विचार को पुख्ता किया। अपनी स्थापना से ही ए.आइ.के.एस. ने अलग-अलग समय पर मजदूरों के संघर्षों को अपना समर्थन देकर हमेशा इस एकता को बनाने की कोशिशें कीं। ए.आइ.के.एस. ने 1983 में अपने फैजपुर सत्र में देश की शोषित जनता के एक हिस्से के रूप में तथा “किसान-मजदूर राज हासिल करने के लिए भारत के क्रांतिकारी संघर्ष में किसानों के गठजोड़ को मजबूत करने” का संकल्प लिया था।

ए.आइ.के.एस. ने पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग व एटक के प्रति एकजुटता जाहिर की तथा 1938 की कोमिला कॉग्रेस में उसके मांगपत्र का समर्थन किया। तब से अपने सभी सत्रों में ए.आइ.के.एस. ने मजदूर-किसान गठजोड़ के बारे में प्रस्ताव पारित किये तथा उनके संघर्षों का समर्थन किया व ए.आइ.के.एस. व एटक के बीच संयुक्त मोर्चा बनाया। ए.आइ.के.एस. ने अपनी शुरुआत से ही ग्रामीण मजदूर वर्ग के रूप में खेतमजदूरों के लिए संघर्ष संगठित करने का फैसला किया।

जुट मजदूर दशकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। किसान सभा हमेशा उनके संघर्षों में साथ रही। उन्होंने कच्चे जूट के दामों, जूट की सरकारी खरीद तथा बंद जूट मिलों को खोलने के लिए तथा जूट मजदूरों की छंटनी के विरुद्ध तथा वर्ष में उनके वेतन को लेकर बंगाल चटकल मजदूर यूनियन व कृषक समिति ने संयुक्त संघर्ष आयोजित किये तथा जूट मालिकों को मजदूरों की मांगों को मानने के लिए बाध्य किया। किसानों ने हमेशा गन्ने के दामों के लिए तथा चीनी मिल मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। ए.आइ.के.एस. सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों, परिवहन मजदूरों व कॉटन मिल मजदूरों के प्रमुख संघर्षों के साथ खड़ी रही। मजदूर वर्ग की अखिल भारतीय आम हड्डतालों में किसान मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी व अत्याचारों के खिलाफ बड़ी संख्या में उनमें शामिल हुए।

मजदूर वर्ग के आंदोलन को विकसित करना।

आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय कारखानों व फैक्टरियों के विकसित होने के बाद हुआ। कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल उद्योग हमारे उद्योगों के अग्रणी थे और मजदूरों को अस्तित्व में लेकर आये थे। बाद में विनिर्माण उद्योगों में भी लाखों मजदूरों को काम मिला। इनके साथ ही औपनिवेशिक दौर तथा स्वतंत्रता के बाद परिवहन, खदान, सार्वजनिक क्षेत्र, लौह-इस्पात, निर्माण, बागान व अन्य कई उद्योग विकसित हुए।

मजदूरों का आंदोलन भी विभिन्न चरणों से होकर गुजरा। शुरुआत में आंदोलन स्वयंस्फूर्त असंगठित छिट-पुट किस्म के थे और कलकत्ता, बोम्बे व मद्रास आदि में कुछ लोकहितैषी लोगों ने इनका नेतृत्व किया। राष्ट्रीय आंदोलन ने शुरू में बहुमत असंगठित की इस बढ़ती बेचैनी का संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व 19 वीं शती के शुरू में कुछ संगठित कोशिशें हुई। लेकिन युद्ध ने उभरते मजदूर वर्ग के जीवन को मुसीबतों से भर दिया और पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध उनके संघर्ष सामने आये। बोम्बे, कुरला, सूरत, वर्धा, अहमदाबाद बड़ी संख्या में हड्डतालें हुई तथापि वे छितरी हुई स्थानीय व अल्प अवधि की थीं।

लेकिन यह संगठित मजदूर वर्ग की शुरुआत थी। इन आंदोलनों के संदर्भ में समन्वय के साथ काम की जरूरत थी जिसके चलते 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (एटक) की स्थापना हुई।

एक राष्ट्रीय ढांचा बन जाने के बाद अगले कुछ वर्षों में मजदूरों की हड़तालों में कई गुना वृद्धि हुई और राज्य स्तरीय संगठनों का निर्माण हुआ। आंदोलन का यह चरण देश की आजादी तक ताकतवर बनता गया। राष्ट्रीय नेताओं ने धीरे-धीरे ट्रेड यूनियन आंदोलन की बढ़ती ताकत और मजदूर वर्ग की ओर ध्यान दिया। लेकिन उनके नजरिये में एक स्पष्ट विभाजन था। दक्षिणपंथी नेतृत्व मजदूरों के किसी भी तरह के जुझारु संघर्षों के पक्ष में नहीं था और वे मजदूरों को कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए पूँजीपतियों के साथ शांतिपूर्ण वार्ताओं को तरजीह दे रहे थे। लेकिन वामपंथी नेतृत्व ने आम हड़ताल, लम्बे समय तक लगातार हड़तालों व जुझारु प्रदर्शनों आदि का ज्यादा जुझारु संघर्षों का रास्ता अपनाया। एटक ने ऐसे संघर्षों का नेतृत्व किया। आजादी के बाद कई राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन संगठन उभर कर आये जो अधिकतर दलीय आधार पर संगठित थे। भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने जहाँ इंटक को संरक्षण दिया वहीं समाजवादी दलों ने एच एम एस बनायी, हिन्दुत्ववादी ताकतों ने बी एम एस को खड़ा किया तो वामपंथियों ने एटक को मजबूत करने की कोशिशें कीं। लेकिन मजदूर वर्ग के आंदोलन ने अपने अनुभवों से संयुक्त संघर्षों की जरूरत को समझा। एटक नेतृत्व के एक हिस्से की समझौतावादी प्रवृत्ति के चलते, नेतृत्व के लड़ाकू हिस्से ने 1970 में सीटू की स्थापना की।

इस वर्ष मजदूर वर्ग एटक की शताब्दी और सीटू की स्वर्ण जयंती मना रहा है। मजदूर वर्ग ने ट्रेड यूनियनों को अधिकतर मजदूरों के संगठित तबके के बीच बनाया जो कुल मजदूर वर्ग का 7 प्रतिशत है जबकि मजदूर वर्ग का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे लेकिन पिछले कुछ दशकों से ट्रेड यूनियनें, विशेषकर सीटू ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के इस विशाल तबके को संगठित करना शुरू किया है।

चूंकि भारत अधिकतर एक अर्धसामांती देश है इसलिए उसमें किसानों की विशाल आबादी है। उनमें एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन किसानों, खेतमजदूरों या काश्तकारों का है। ग्रामीण भारत में इन तबकों के बीच बढ़ती गरीबी व बेरोजगारी ने उन्हें शहरी इलाकों में पलायन के लिए मजबूर किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विशाल हिस्सा इन्हीं प्रवास किये हुए किसानों का है। इसलिए, हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने उन्हें संगठित करना शुरू किया क्योंकि वे मजदूरों व किसानों के बीच की कड़ी है।

सीटू ने अपनी स्थापना से ही, समाज में ताकतों के संतुलन को बदलने के लिए मजदूर वर्ग को संगठित करने और वर्ग संघर्ष को मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी रुख अपनाया है। सीटू, मजदूर—किसान गठजोड़ के प्रति सचेत है जो पूँजीवादी—सामंती शोषण पर आधारित वर्तमान समाज व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के लिए अति महत्वपूर्ण है। वे इन संघर्षों में मजदूर वर्ग की अग्रणी भूमिका के प्रति भी सचेत हैं। सीटू ने एक मजबूत मजदूर—किसान गठजोड़ के लिए हमेशा ही किसानों के संघर्षों को समर्थन दिया है।

एक दूसरे के संघर्षों को व्यापक समर्थन और उन संघर्षों में भागेदारी के माध्यम से ही एक दूसरे में भरोसा पैदा किया जा सकता है और मजदूर—किसान एकता की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। ए.आइ.के.एस. ने भी जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, अपनी स्थापना से ऐसा ही रुख अपनाया है।

आजादी के बाद का मजदूर व किसान आंदोलन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के चरण में मजदूरों व किसानों का आंदोलन दो चरणों से गुजरा है— आजादी से नवउदारवाद की शुरुआत तक; नवउदारवाद के बाद। आजादी के तुरन्त बाद सरकार द्वारा किसान आंदोलन व उनके संगठनों पर व्यापक दमनचक्र चलाया गया। ए.आइ.के.एस. 6 वर्षों यानी 1953 तक समुचित रूप से अपना कामकाज नहीं कर सकी। इसके बावजूद किसानों ने जमीदारों के अत्याचारों और जमीन से बड़े पैमाने पर बेदखली के विरुद्ध प्रतिरोध संगठित किया। ऐतिहासिक तेलंगाना संघर्ष ने सरकार के दमन को चुनौती दी। पंजाब में बैटरमेंट लेवी के विरुद्ध संघर्ष व्यापक था। किसानों ने केरल पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में वाम नेतृत्व

वाली सरकार के बनने, जनवाद के लिए संघर्ष तथा पश्चिम बंगाल में आपरेशन बरगा के तहत बेनामी जमीनों पर कब्जे के रूप में राजनीतिक बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

ट्रेड यूनियन ने भी इस दौर में कई संघर्षों का नेतृत्व किया। 1947 से 1960 तक कई नई उद्योग लगे, सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित हुआ तथा मजदूरों को कुछ फायदे मिले। लेकिन साठ के दशक में भारी मुद्रास्फीती के चलते स्थिति बिगड़ गई, मजदूरों का वास्तविक वेतन कम हो गया। मजदूर वर्ग के संघर्षों में विशाल वृद्धि हुई। 1964 में 2151 औद्योगिक विवाद खड़े किये गये जिनमें 10 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल थे। देश में पूंजीपतियों के विरुद्ध ये संघर्ष जारी रहे। इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरेजेंसी से मजदूर वर्ग के अधिकारों व संघर्षों पर सघन हमला हुआ। पूंजीपतियों ने मजदूरों पर हमलों को बढ़ा दिया और भारी संख्या में तालाबंदी की गई। मजदूर वर्ग ने इन हमलों का व्यापक प्रत्युत्तर दिया। 1974 में देश में सबसे लंबी रेल हड़ताल हुई। बाद में औद्योगिक सिकनेस बढ़ी और मजदूर वर्ग को पूंजीपतियों के गंभीर आर्थिक हमले का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय किसान सभा ने मजदूर वर्ग के इन बढ़ते संघर्षों का पूरा समर्थन किया।

उदारवाद के बाद का दौर मजदूरों व किसानों के जीवन में प्रमुख संकट लेकर आया। औद्योगिकरण में रुकावट व उसके पीछे जाने से रोजगार घटा और बेरोजगारी की समस्या घनीभूत हुई। कारपोरेट उद्योगों के हित में श्रम कानूनों को खत्म किय गया या उनमें संशोधन किया गया। अस्थायी या कैजुअल रोजगार ने मजदूरों के जीवन में असुरक्षा पैदा की।

किसानों का हाल ही भी ऐसा ही हुआ। इसने कृषि वृद्धि को घटाया और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला जबकि उत्पादन लागत कई गुना बढ़ गई। भारी कर्जदारी के चलते किसानों की आत्महत्याएं आम हो गई। किसानी घाटे का सौदा बन गई। कृषि नीति किसान विरोधी रही, खेत मजदूर विरोधी और कारपोरेट के पक्ष में रही।

ऐसे हमलों के समक्ष, मजदूरों व किसानों के संघर्षों में भारी उभार आया और देश के अलग-अलग भागों में अधिक से अधिक संयुक्त संघर्ष हुए। मजदूरों की आम हड़तालों की एक श्रंखला बनी और दो अखिल भारतीय भारत बंद किये गये जिनमें 20 करोड़ मजदूरों ने भाग लिया तथा ग्रामीण बंद, रास्ता रोको व रैलियों के माध्यम से करोड़ों किसान इनमें शामिल रहे।

मजदूर-किसान गठजोड़

मजदूरों व किसानों के बढ़ते स्वतंत्र तथा संयुक्त संघर्षों ने मजदूर-किसान गठजोड़ का रास्ता तैयार किया जो हमारा रणनीतिक लक्ष्य है। ट्रेड यूनियन, किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के संयुक्त चर्चा, परामर्श व संयुक्त संघर्षों की योजना के लिए साथ आने से उनके एक दूसरे के नजदीक होने में मदद मिली। 19 जनवरी, 1982 को, देश में पहला भारत बंद किया गया और उस संघर्ष में इन सभी संगठनों ने इसकी सफलता के लिए मिलकर काम किया था। जनता के इन तबकों में जबरदस्त उत्साह था और उन्होंने मिलकर भारी संख्या में भागेदारी की। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में हड़तालों पर बर्बर हमले किये। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों में पुलिस ने आंदोलनकारी मजदूरों किसानों व खेतमजदूरों पर गोली चलाई जिसमें दस लोग मारे गये थे। इस संघर्ष में एक साथ खून बहाकर मजदूर-किसान एकता का संदेश लिखा गया। इस ऐतिहासिक संयुक्त बलिदान ने मेहनतकश आवाम के बीच व्यापक एकता के काम में मद्द की। सीटू, किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन इस दिन को संयुक्त रूप से मजदूर-किसान एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी आशा व मिड-डे मील मजदूरों के संघर्ष सघन हुए हैं और किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन उन्हें समर्थन देती रही हैं। मजदूरों की पिछली दो अखिल भारतीय आम हड़तालों में किसान सभा व खेतमजदूरों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और मजदूरों की आम हड़ताल के साथ ग्रामीण बंद का आयोजन किया।

मेहनतकश जनता के इन तीनों संगठनों ने राष्ट्रीय स्तर एक नजदीकी समन्वय कायम कर संयुक्त रूप से अपनी राज्य इकाईयों को राज्य स्तरीय समन्वय समितियां बनाने तथा राज्य व जिला स्तर पर संयुक्त संघर्षों की योजना बनाने के लिए कहा हुआ है। हाल ही में, संयुक्त कार्रवाई ने इन तीनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह पैदा किया है। किसानों की मांगों पर ए.आइ.के.एस. ने

जेल भरो आंदोलन किया और सीटू ने संघर्ष का समर्थन किया। इसने बड़ा प्रभाव पैदा किया और तथा 500 से अधिक स्थानों पर लाखों किसानों व मजदूरों ने हिस्सा लिया। कुछ स्थानों पर तो मजदूरों की संख्या किसानों से ज्यादा थी।

यह जमीनी स्तर का संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता को दिखाता है। इस ऐतिहासिक सफल संघर्ष के बाद 5 सितम्बर, 2018 को दिल्ली में एक केन्द्रीय रैली हुई। सीटू ने इसका आवान किया था और किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन इसमें शामिल हुई तथा दिल्ली में भारी लामबंदी हुई जो देश में अब तक की सबसे बड़ी मजदूर किसान रैली थी।

आगे का कार्यभार

मजदूर—किसान गठजोड़ देश में मजदूर—किसान क्रांति करने के लिए एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोर्चा है। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में यह गठजोड़, शोषण आधारित समाजव्यवस्था को मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से रहित समाज व्यवस्था में बदलने का सबसे प्रभावी औजार है। सबसे सभ्य, सबसे माननीय व शोषणरहित समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए अंतिम लक्ष्य समाजवाद है। हमारे देश में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनतकश जनता सामंतवाद विरोधी, इजारेदार विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी एक लम्बी लड़ाई में है। इस संघर्ष की सफलता के लिए मजदूर—किसान गठजोड़ कायम किया जाना चाहिये। यह, वर्ग संघर्ष पर आधारित एक वर्गीय मोर्चा है और इन दो बुनियादी वर्गों को मजदूर वर्ग के नेतृत्व में एकताबद्ध होना है। इस शक्ति के मुख्य घटक के रूप में मजदूर व किसान संगठनों को आवश्यक रूप से काम करना चाहिये।

मोदी सरकार 2

‘बिंग बैंग’ आर्थिक सुधार

श्रम कानून

“कुमार का कहना है कि भारत के जटिल श्रम कानूनों में, जुलाई में होने वाले संसद के आगामी सत्र में सुधार किया जायेगा जब सरकार मंजूरी के लिए लोकसभा में एक नया विधेयक पेश करेगी।”

“इसका उद्देश्य 44 केन्द्रीय कानूनों को चार संहिताओं वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम के हालातों, में एक साथ करना है।”

“इसमें कंपनियों को अपने मजदूरों व अधिकारियों के साथ जटिल विवादों की शृंखला से बचने में मद्द मिलेगी जिनमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर अथारिटी के द्वारा तैयार नियामक शामिल होते हैं और इससे कानूनी व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में लम्बी प्रक्रिया चलती है।” (रायटर, 31 मई, 2019)

मोदी सरकार 2

‘बिंग बैंग’ आर्थिक सुधार

भूमि

“सरकार अपनी योजनानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियन्त्रण वाली उपयोग में नहीं लाई जा रही जमीनों के भूमि बैंक से विदेशी निवेशकों को बड़े-बड़े भूभाग दे सकती है, कुमार ने कहा। प्रयास सरकारी भूमि की एक इन्वेंटरी तैयार करने का है जिसे विदेशी निवेशकों को पेश किया जा सकता है,” कुमार ने कहा।

“भारत सरकार की उपयोग में नहीं लायी जा रही जमीन के कुछ विशाल भू-भागों तक पहुँच विदेशी कंपनियों के लिए प्रमुख खतरों को कम कर देगी क्योंकि इसमें स्वामित्व व विकास से संबंधित कानूनी चुनौतियों के बाबत खतरे बहुत ही कम होंगे। अभी तक उनके द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली बहुत सी जमीनें पहले कृषि भूमि थीं जिसमें भूमि के अधिकार के संबंध में स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध व अदालती कार्रवाई तथा पर्यावरण व अन्य शामिल थे।” (रायटर, 31 मई, 2019)

मजदूर वर्ग की एकता के लिए लड़ाई के 50 वर्ष

पेट्रोलियम मजदूरों की एकता व संघर्ष की गाथा

स्वदेश देव राँय

सीटू की स्थापना के समय पेट्रोलियम सेक्टर के मजदूरों के बीच उसकी गतिविधियां सीमित थीं। कुल मिलाकर तेल व पेट्रोलियम सेक्टर में सीटू से संबंध व उसकी दोस्ताना यूनियनें देश के पूर्वी व उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ही मौजूद थीं। तथापि, स्पष्ट है कि हमारा मुख्य आधार पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में था।

पेट्रोलियम सेक्टर में सीटू से संबंध यूनियनों की गतिविधियों के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की प्रथम पहल 1989 में की गई। धनबाद में हो रही सीटू की जनरल कॉर्सिल बैठक से इतर ऑयल सेक्टर ट्रेड यूनियनों के साथियों की एक बैठक 28 सितम्बर, 1988 को हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि तेल क्षेत्र में सीटू से संबंद्ध व उसकी दोस्ताना यूनियनों की एक व्यापक अखिल भारतीय बैठक की जाये।

तदनुसार, एक व्यापक अखिल भारतीय बैठक का आयोजन 23 अप्रैल, 1989 का कोलकाता के युवा केन्द्र में किया गया। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश बिहार व दक्षिण के राज्यों की यूनियनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। सीटू केन्द्र से ऐसे के पधे, जीवन रॉय, व स्वदेश देव रॉय ने इस बैठक में भाग लिया था। तेल व पेट्रोलियम मजदूरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति बाद में कोलकाता में हुई व्यापक बैठक के फैसले के अनुसार तेल क्षेत्र की यूनियनों की एक बैठक नई दिल्ली में सीटू केन्द्र में हुई तथा ऑयल व पेट्रोलियम मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति—नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी (एन सी सी) ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम वर्कर्स का गठन किया गया। स्वदेश देव रॉय को इसका संयोजक चुना गया। इसने 1990 में काम शुरू किया और यह 15 वर्ष तक जारी रहा तथा 15 नवम्बर 2005 को हल्दिया में पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (पी जी डब्ल्यू एफ आई) बनाकर इसने अपना अपेक्षित कार्य पूरा किया। एन सी सी ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम वर्कर्स की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को यहाँ नीचे दर्ज किया गया है।

ऑयल व गैस में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय सेमिनार

उदारवाद के नव-उदारवादी हमले, ऑयल एंड नेचुरल गैस के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निजिकरण व उन्हें खोलने की शुरूआत होने के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति ने सीटू के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भरता को बचाने के मुद्दे पर संयुक्त पहल के लिए इंटक व एटक की फेडरेशनों को सफलतापूर्वक लामवेद किया। तदनुसार तेल व प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भरता पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन संयुक्त रूप से 1-3 सितम्बर 1993 को नई दिल्ली में किया गया। ऐसे के पधे, राजा कुलकर्णी, वाई डी शर्मा, के अशोक राव व ऐसे परमेश्वरन को लेकर एक सलाहकार परिषद गठित की गई। स्वदेश देव रॉय को सेमिनार के समन्वयक का कार्य सौंपा गया था।

चित्तब्रता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल से उद्योग के बारे में विशेषज्ञता रखने वाले साथियों की एक टीम के साथ सेमिनार में भाग लिया था और विभिन्न विषयों पर परचे प्रस्तुत किये। सेमिनार शानदार रूप से सफल रहा। सभी संबंद्धताओं वाली ट्रेड यूनियनों ने सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का प्रतिनिधित्व सेमिनार में किया। इस पैमाने का सेमिनार देश में पहली बार आयोजित हुआ था। सभी प्रतिभागियों ने ऐसे महत्वपूर्ण मंच की सराहना की।

ऑयल पी एस यू के निजीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय संयुक्त मंच

मार्च 2002 में तत्कालीन राजग सरकार ने बी पी सी एल व एच पी सी एल का पूरी तरह निजीकरण करने तथा रिटेल नेटवर्क के पूरे ताम-झाम को मुकेश अंबानी की आर आई एल को सौंपने का फैसला लिया था। सरकार तथा दोनों ऑयल पी एस यू के प्रबंधन द्वारा विभिन्न कदम पहले ही उठाये जा चुके थे। इस स्थिति में सीटू ने आग्रणी पहल करते हुए दोनों तेल पी एस यू की

सभी यूनियनों को सफलता पूर्वक एकजुट करते हुए नेशनल यूनाईटेड फोरम की शुरूआत की। एकता मंच की नीव 01.11.2002 को मुंबई स्थित बी पी सी एल के केन्द्रीय कार्यालय परिसर में हुई पहली बैठक में पड़ी। इसमें मुंबई स्थित बी पी सी एल रिफाइनरी की चारों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि व मुंबई में बी पी सी एल की मार्केटिंग ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे। स्वदेश देव रॉय तथा तारापदा रॉय चौधुरी ने बैठक में शिरकत कर मार्गदर्शन किया। इस बैठक ने बी पी सी एल, एच पी सी एल, के आर एल एन आर एल तथा एम आर एल को लेकर मुंबई के बी पी सी एल रिफाइनरी ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी अखिल भारतीय बैठक का फैसला लिया जो 19 नवम्बर 2002 को हुई।

इस बैठक में देश भर से बी पी सी एल, एच पी सी एल, के आर एल व एन आर एल की रिफाइनरी व मार्केटिंग डिवीजनों की 17 ट्रेड यूनियनों के लगभग 70 प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में संघर्ष के कार्यकर्मों को पारित किया गया और बी पी सी एल व एच पी सी एल का निजीकरण करने के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया। तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय संयुक्त मंच की औपचारिक शुरूआत इसी बैठक से हुई। 1 नवम्बर, 2002 से 27 फरवरी, 2003 के दौरान यूनियनों व उनके प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या के साथ कई बैठकें हुईं। इनके बाद फरवरी 2003 तक विभिन्न स्थानों पर कई कन्वेंशन किये गये।

27 फरवरी, 2003 को, बी टी आर भवन, नई दिल्ली में हुए संयुक्त कन्वेंशन में बी पी सी एल व एच पी सी एल में 25–27 मार्च, 2003 तक तीन दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया। बी पी सी एल व एच पी सी एल की हड़ताल में भाग ले रहीं 26 यूनियनों ने हड़ताल के नोटिस पर हस्ताक्षर किये। कन्वेंशन की सफलता व हड़ताल के फैसले ने विशेषकर ऑयल सैक्टर के पी एस यू ट्रेड यूनियनों में हलचल मचा दी।

बी पी सी एल और एच पी सी एल में 3 दिवसीय हड़ताल की जबरदस्त सफलता ने निजीकरण के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष में ओ एन जी सी, आइ ओ सी व अन्य ऑयल पी एस यू के शामिल होने का रास्ता खोल दिया। अब, आइ ओ सी, ओ एन जी सी व अन्य के शामिल हो जाने से आंदोलन का अगला उच्च चरण एक बार फिर 27 अप्रैल, 2003 से मुंबई में हुई एक विस्तारित बैठक से शुरू हुआ। कोलकाता व मुंबई में कमशः 1 जून व 28 सितम्बर 2003 को दो और कन्वेंशन आयोजित हुए।

इस चरण का चरम 16 नवम्बर, 2003 को नूनमाटी, गुवाहाटी में आइ ओ सी रिफाइनरी के परिसर में हुए राष्ट्रीय कन्वेंशन में देखने को मिला। इस कन्वेंशन से अविस्मरणीय इतिहास रचा गया। इसमें समूचे तेल व प्राकृतिक गैस क्षेत्र के पी एस यू की नियमित व ठेका मजदूरों की रिकार्ड 70 यूनियनों ने भाग लिया। संघर्षों की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कन्वेंशन ने 16 दिसम्बर 2003 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला लिया। देश के तेल क्षेत्र में पहले कभी ऐसी हड़ताल नहीं देखी गई जिसमें स्थायी व ठेका मजदूर दोनों शामिल थे।

यह दर्ज है कि आइ ओ सी के तत्कालीन चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ने कंपनी के शेयर धारकों की वार्षिक आम सभा में वित्तवर्ष 2003–2004 के अपने भाषण में कहा था कि यदि यह हड़ताल न होती तो आइ ओ सी का निजीकरण हो गया होता। इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

तेल क्षेत्र के पी एस यू का निजीकरण करने के सरकार के कदम के खिलाफ विरोध, संबंधित अधिकार क्षेत्र की बाधाओं के पार जाकर देश में पेट्रोलियम मजदूरों की व्यापक एकता को संभव बनाने वाला एक प्रमुख कारक रहा है। एक बार फिर हमने अनुभव किया कि संघर्षों के बढ़ने के साथ ही एकता भी व्यापक होती है। संदेश एकदम साफ है – संघर्षों की प्रक्रिया में ही एकता को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है।

तेल व प्राकृतिक गैस मजदूरों के पेरिस विश्व सम्मेलन में हिस्सेदारी

सीटू या कहें कि पी जी डब्ल्यू एफ आई के आज के मजबूत अंतर्राष्ट्रीय बिरादराना ताने-बाने का मूल, फ्रांस की एफ एन आइ सी – सी जी टी की संयुक्त मेजबानी में हुए तेल व प्राकृतिक गैस मजदूरों के विश्व सम्मेलन; ओ आइ सी यूनियन ऑफ मेडिट्रेनेशन, लीबिया व आइ ई एम ओ, पेरिस में है जो 18–20 अक्टूबर, 1999 को पेरिस में हुआ। भारत से एकमात्र प्रतिनिधिमंडल सीटू का था

जिसमें स्वदेश देव रॉय, टी एस रंगराजन व स्वप्न मिश्रा शामिल थे। 30 देशों से 140 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन से हमें वास्तव में विश्व ऑयल एंड पेट्रोलियम ट्रेड यूनियन आंदोलन को देखने समझने का मौका मिला। हम नम्रता के साथ यह दर्ज कर सकते हैं कि जो परचा हमने प्रस्तुत किया था उसकी काफी सराहना हुई तथा हमारे मनोनीत सदस्य को सम्मेलन की घोषणापत्र मसविदा कमेटी में शामिल कर सम्मेलन ने इसे मान्यता दी थी। यही नहीं, सीटू केंद्रीय सचिव मंडल के फैसले के अनुसार हमने अगले विश्व सम्मेलन की मेजबानी का निमन्त्रण दिया जिसका सम्मेलन ने तालियों के साथ स्वागत किया।

भारत में हुआ दूसरा विश्व सम्मेलन

ऐरिस सम्मेलन के बाद ऑयल एंड पेट्रोलियम वर्कर्स का दूसरा विश्व सम्मेलन 8–10 मार्च, 2003 को कोलकाता में हुआ। हमारे द्वारा आयोजित ऑयल एंड पेट्रोलियम वर्कर्स का यह कार्यक्रम एक मील का पथरथ था। सम्मेलन को हर तरह से भारी सफलता मिली।

इस सम्मेलन से हमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठनात्मक प्रतिष्ठा मिली वह बहुत बड़ी थी और हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दस्तावेजों की प्रस्तुति, चर्चा की गुणवत्ता तथा पारित घोषणापत्र को देश-विदेश दोनों में सराहा गया। सम्मेलन में भारत व विदेशों से कुल 124 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कामरेड ज्योति बसु, तत्कालीन तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री रामनायक तथा अध्यक्ष व महासचिव समेत सीटू सचिव मंडल के कई सदस्य सम्मेलन में उपस्थिति रहे थे।

पी जी डब्ल्यू एफ आइ का स्थापना सम्मेलन

पी जी डब्ल्यू एफ आइ का स्थापना सम्मेलन 14–15 नवम्बर 2005 को हुल्डिया में हुआ था। उत्पादन, शोधन मार्केटिंग व ऑयल सेक्टर की अन्य गतिविधियों से जुड़े स्थायी व ठेका मजदूरों की 52 यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। विदेशों (ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, मिस्त्र, यूनान, लीबिया, द्यूनिसिया व बांग्लादेश) से 19 विरादराना प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सम्मेलन में प्रस्तुत संयोजक की रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत हैं :

“गहराई से किया गया विश्लेषण स्पष्ट करेगा कि इस सम्मेलन से स्थापित होने वाली फेडरेशन देश में ऑयल एवं प्राकृतिक गैस मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन होगा। फेडरेशन अपने संविधान के अनुरूप विभिन्न ट्रेड यूनियन धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के पेट्रोलियम व गैस मजदूरों का ‘प्रयाग’ होगी। सभी पी एस यू, देश के सभी क्षेत्र, पेट्रोलियम उद्योग की सभी सेगमेंट्स का फेडरेशन में प्रतिनिधित्व है। फेडरेशन के संबद्धों को एक साथ विभिन्न तेल पी एस यू के बहुमत मजदूरों का समर्थन प्राप्त होगा। पूरे उद्योग में मान्यताप्राप्त यूनियनों की सबसे बड़ी संख्या फेडरेशन के साथ होगी।”

इस स्तर के सम्मेलन से और किसी फेडरेशन का गठन नहीं हुआ है। सम्मेलन के हर पहलू को पूरी गम्भीरता व अनुशासन से लिया गया है। किसी फेडरेशन के स्थापना सम्मेलन में इतने विदेशी विरादराना प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी अभूतपूर्व है।

फेडरेशन के साथ जुड़े ये तमाम बड़े मानक खुशी का कारण है तथा साथ ही विशाल जिम्मेदारी भी देते हैं। आइये हम फेडरेशन की शुरुआत “सबसे बड़ी फेडरेशन – सबसे बड़ी जिम्मेदारी” के संकल्प के साथ करें।”

संदेश व कार्य

आज के पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (पी जी डब्ल्यू एफ आइ) में सीटू से संबद्ध यूनियनों के अलावा स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें शामिल हैं जो 15 वर्षों के लम्बे संघर्ष का परिणाम है। तेल पी एस यू के निजीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय संयुक्त मंच ने एक चुम्बक की तरह काम किया है जिसने स्वतंत्र यूनियनों को हमारी फेडरेशन पी जी उल्ल्यू एफ आइ की ओर खींचा है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मुंबई में हमारी उपस्थिति उल्लेखनीय है। पूर्वी व उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हमारे प्रभुत्व वाली स्थिति जारी है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का विस्तार होता आया है। हम नियमित स्तर पर विभिन्न विश्व ट्रेड यूनियन कार्यक्रमों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते रहे हैं।

यह एकदम सही है कि हमारी फेडरेशन वास्तव में तत्कालीन सरकार द्वारा बी पी सी एल व एच पी सी एल का निजीकरण करने के कदम के विरुद्ध सफल संयुक्त संघर्ष से उभर कर आयी है। तथापि, इस बीच सारे सार्वजनिक क्षेत्र और विशेषकर पेट्रोलियम पी एस यू पर निजीकरण का हमला सबसे बुरे स्तर पर पहुँच गया है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के पिछले कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र पर जितना बड़ा हमला किया है वैसा 24 वर्ष के नव उदारवादी दौर में पहले कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने विभिन्न तरीकों से केन्द्रीय सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण से सबसे अधिक राशि जुटाई है। 1991 से जनवरी 2019 तक निजीकरण कर जुटाई गई राशि रूपये 3,84,293.79 करोड़ है जिसमें 60.24 प्रतिशत अकेले मोदी सरकार ने जमा किया है।

आने वाले दिनों में मोदी द्वारा पी एस यू' के निजीकरण का हमला हमारे सामने "विरोध व बचाव या खत्म हो जाने" की चुनौती दे रहा है। फेडरेशन के गठन के पूर्व के दौरे में पी जी डब्ल्यू एफ आई द्वारा हासिल उपलब्धियों को ध्यान में रखत हुए, जिनका ऊपर जिक किया गया है, पी जी डब्ल्यू एफ आई को अपनी जांची परखी पेट्रोलियम मजदूरों की लड़ाकू क्षमता को समय की चुनौती का मुकाबला करने के लिए संपूर्ण संगठनात्मक पहलकदमी के लिए फिर से और कहीं ज्यादा धारदार बनाना होगा।

भारतीय रेल का निजीकरण रोको

सीटू, मोदी-2 सरकार द्वारा रेल मंत्रालय की 100 दिन की कार्ययोजना में प्रस्तावित रेलवे के निजीकरण का कड़ा विरोध करता है। रेलवे बोर्ड पहले ही रेल प्रशासन को योजना को 31 अगस्त 2019 तक लागू करने के लिए तुरन्त अमल के निर्देश दे चुका है।

कार्य योजना में दो यात्री गाड़ियों को निजीकरण के एक रास्ते के रूप में आइ आर सी टी सी को चलाने के लिए देने का प्रस्ताव है। ये गाड़ियाँ महत्वपूर्ण रुटों पर चलेंगी और प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी।

सरकार, राजधानी व शताब्दी जैसी प्रीमियर ट्रेनों समेत, रेलों को निजी संचालकों को देने के लिए 4 महीने के अंदर टेंडर निकालने की कोशिश में है।

कार्य योजना में, एसोसिएटिड वर्कशाप्स समेत भारतीय रेलवे की 7 उत्पादन इकाईयों के 'इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी' के नाम के कारपोरेटाइजेशन का भी प्रस्ताव है। यह उत्पादन को निजी हाथों में आऊटसोर्स कर घरेलू उत्पादन क्षमता को समाप्त करने का एक रास्ता है, सीटू ने कहा।

सरकार ने, बिजनेस को लाभकारी बनाने के लिए सब्सिडी को वापस लेकर किराये बढ़ाने का भी फैसला किया है ताकि उसे सरकारी सेवा की सूची से हटा कर निजी लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके।

रेलवे के यात्रियों का विशाल बहुमत गरीब व कम आय समूह के लोगों का है। अपने "नागरिकों को सस्ती व वहनीय यात्रा सुलभ कराना सरकार की संविधानिक जिम्मेदारी है" सीटू ने 21 जून के बयान में कहा। " सरकार ने, जो आम आदमी व गरीबों के बोट के बल पर सत्ता में आयी है, एक महीने से कम में ही अपने आकाओं, बड़े कारपोरेटों-घरेलू व विदेशी को लाभ पहुँचाने के लिए जनता पर बोझ थोपना शुरू कर दिया है।

"ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श का प्रस्ताव केवल आँखों में धूल झाँकने के लिए है। आज तक, मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल और सत्ता में वापसी के बाद कितने ही मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों की आवाज को पूरी तरह से अनुसुना करती आयी है। तथ्य यह है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के निजीकरण का लगातार कड़ा विरोध करती आयी हैं।"

सीटू ने जनता और अपनी सभी संबद्ध यूनियनों तथा फेडरेशनों से जनता को उपलब्धता सबसे सस्ते यातायात के साधन का निजीकरण करने का कड़ा विरोध करने व एकजुट होकर इस कदम का प्रतिरोध करने का आहवान किया है। सीटू ने रेलवे कर्मचारियों की सभी यूनियनों से भी किसी भी रूप में भारतीय रेलवे का निजीकरण करने के कदमों का कड़ा विरोध करने तथा ऐसे विनाशकारी कदमों को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाहियों के माध्यम से अपनी समूची ताकत को लामबंद करने का भी अनुरोध ता किया है।

मजदूरों के न्यूनतम वेतन को कम करने के लिए आईएलओ. ने मोदी सरकार से हाथ मिलाया

जे.एस. मजुमदार

मौजूदा विश्व आर्थिक संकट की स्थिति में, दक्षिणपंथी राजनैतिक बदलाव के पास कॉर्पोरेट्स के हित में और मेहनतकश जनता के खिलाफ वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी, रोजगार, अधिकारों में कटौती एवं बढ़े हुए टैक्सों के साथ, आक्रामक नवउदारवादी आर्थिक एजेंडा है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी द्वारा डिजाइन किया गया है और जो पूँजीवादी दुनिया में देश-विशिष्ट के लिए विभाजन के एजेंडे के साथ जुड़ा है। इस प्रवृत्ति का प्रतिबिंब अमेरिका में ट्रम्प के उभार, अन्य देशों में उनकी प्रतिकृतियां और भारत में सांप्रदायिक-कॉरपोरेट गठबंधन के तहत मोदीनीत गाली शासन व्यवस्था के उदय और एकीकरण में देखा जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) जैसी एजेंसियां भी इसके अछूती नहीं रहीं। मजदूरों के न्यूनतम वेतन पर दो हालिया उदाहरण, इस तथ्य को सही साबित करते हैं। एक तो आईएलओ के बारे में है, श्रम को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, भारत में मजदूरों के न्यूनतम वेतन को कम करने को वैधता देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मोदी सरकार के साथ हाथ मिलाया है। अन्य रिपोर्ट में आई.एल.ओ. के बारे में है, जिसके तहत उसने एक जांच समिति का गठन करके और वेनेजुएला में मजदूरों के न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए मादुरो सरकार की निंदा कर रही है। दोहरे मानक का उपयोग करते हुए, आई.एल.ओ. ने वेनेजुएला सरकार की निंदा की कि उसने 'चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और त्रिपक्षीय तंत्र की अनदेखी' करके मजदूरों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाया है; लेकिन, मोदी सरकार की कमेटी में बैठकर और मजदूरों के न्यूनतम वेतन को तय करते हुए भारत में ट्रेड यूनियनों और त्रिपक्षीय तंत्र को आसानी से अनदेखा किया।

भारत में मजदूरों के न्यूनतम वेतन को कम करने में आई.एल.ओ. की प्रत्यक्ष भूमिका

वहीं नहीं रुके, आई.एल.ओ. ने दिल्ली में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसका एजेंडा था 'भारत सरकार की राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने के तौर तरीके पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर' "एक अनौपचारिक आदान-प्रदान" इस रिपोर्ट में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का अनुमान लगाने की एक नयी पद्धति का उपयोग किया। इस बैठक में सात केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—इंटक, बी.एम.एस., एच.एम.एस., एटक, सीटू. ए.आई.यू.टी.यू.सी. और एन.एफ.आई.टी.यू. ने भाग लिया। सीटू का प्रतिनिधित्व इसके राष्ट्रीय सचिवमण्डल सदस्य करुमलयम और इसके दिल्ली प्रदेश महासचिव अनुराग सक्सेना ने किया।

बैठक में, आई.एल.ओ. के अधिकारियों ने मोदी सरकार की 'विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट की 'खूबियों' और इसके द्वारा अपनाए गये "नए तरीके" के बारे में विस्तार से बताने के लिए बहुत कष्ट उठाया। आई.एल.ओ. के दुर्भाग्य से, आरएसएस से जुड़े बीएमएस सहित सभी सात केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सर्वसम्मति से तथाकथित 'विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन तय करने के इसके "नए तरीके" को खारिज कर दिया। करुमलयम ने 'विशेषज्ञ समिति' में आई.एल.ओ. की भागीदारी के आधार और नए तरीके पर सवाल उठाया जबकि भारतीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.), सभी त्रिपक्षीय संस्थाओं और सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान कार्यप्रणाली को बरकरार रखा है। अनुराग सक्सेना ने इस 'विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाया जब गणना की वर्तमान पद्धति के आधार पर न्यूनतम वेतन पर दिल्ली सरकार की अधिसूचना है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। एटक के प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में आई.एल.ओ. के अधिकारियों ने न्यूनतम वेतन निर्धारण पर आई.एल.ओ. कर्नेंशन 131 का उल्लंघन किया और अपने संदर्भ से ही परे चले गए। बीएमएस के प्रतिनिधियों ने नए तरीके में ही विभिन्न विकृतियों पर प्रकाश डाला।

यह ध्यान देने की बात है कि इस वर्ष भारत के मजदूर पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र का शताब्दी वर्ष और सीटू की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तात्कालिक मांगों के लिए संघर्षों और बलिदानों को याद कर रहे हैं, आगे बढ़ने और क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव और वर्ग शोषण को समाप्त करने के लिए; मजदूर वर्ग की महान अक्टूबर क्रांति और पहले समाजवादी राज्य की स्थापना

के दो वर्ष के अंदर, वर्ग विभाजन और शोषण की निरंतरता और स्थिरता के लिए श्रम के लिए एक वैकल्पिक साधन के रूप में आई.एल.ओ. के अपने गठन की शताब्दी भी मना रहा है।

इसके बाद, 15 जून को होने वाली ट्रेड यूनियनों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट 2019–20 की बैठक में चर्चा के लिए एक विषय के रूप में ‘सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिष्ठित करना’ है, जाहिर है कि बकाएदार कॉरपोरेटस के एन.पी.ए. को एक बड़ा बढ़ावा देने के बास्ते, न्यूनतम वेतन में कमी को लागू करने के लिए जमीन साफ करने की कोशिश होगी।

न्यूनतम वेतन में कटौती का रास्ता

“आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन तय करने के लिए नयी पद्धति” का उपयोग करते हुए, मोदी सरकार की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, 14 फरवरी, 2019 को प्रकाशित हुई, जैसा कि आई.एल.ओ. ने बताया है, सीमांत मजदूरों के विशाल तबकों के साथ खेला गया एक बड़ा धोखा है। ‘औपचारिक रोजगार’ को बड़ा हुआ दिखाने के लिए नए ईपीएफ खातों का उपयोग करने, उच्च आर्थिक विकास को दर्शाने के लिए नई जीडीपी श्रृंखला और अन्य गढ़े गये आंकड़ों के साथ तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत करने की तरह ही, मोदी सरकार ने कॉरपोरेटस के पक्ष में, मजदूरों के न्यूनतम वेतन में कटौती करने की इस ‘नयी पद्धति’ के जरिए धोखे का रास्ता अपनाया। जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम वेतन की गणना की वर्तमान पद्धति जो भारतीय गणतंत्र के गठन के बाद से लगभग 40 वर्षों के प्रयासों से विकसित हुई और तब से ही उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघर्ष है।

वर्तमान पद्धति

भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के तहत और उचित वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर; 1957 में त्रिपक्षीय 15^{वें} भारतीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) ने गणना की वर्तमान पद्धति पर निर्णय लिया – (1) तीन सदस्यीय उपभोग इकाई का श्रमिक परिवार; (2) 200 आयक्रॉयड के फार्मूले के अनुसार संतुलित भोजन में 2700 कैलोरी प्रति यूनिट; (3) प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 गज कपड़ा; (4) कम आय वर्ग के आवास के लिए सरकार द्वारा वसूला जाने वाला मकान किराया; और (5) ईधन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य विविध खर्चों के लिए अतिरिक्त।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में रपटकोस ब्रेट मामले में अपने फैसले में इस वर्तमान पद्धति को मंजूरी दे दी है, लेकिन (6) (2)+(3)+(4)+(5) का 25% अतिरिक्त को बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, मनोरंजन, त्योहार और समारोह के लिए जोड़ दिया। इस प्रकार, (2)+(3)+(4)+(5)+(6) को कुल योग न्यूनतम वेतन बन जाता है।

सरकार–आईएलओ की “अभिनव पद्धति”

इसमें कोई शक नहीं कि केवल मजदूरों के न्यूनतम वेतन में कटौती के उद्देश्य के लिए तो, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की गणना की पद्धति अभिनव ही है।

तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश करने के लिए, विशेषज्ञ समिति ने वर्तमान पद्धति में 3 के बजाय 3.6 के रूप में मजदूरों के परिवार की खपत इकाई की गणना की है। फिर भी, मौजूदा मूल्य स्तर पर एक मजदूर का कुल न्यूनतम वेतन क्षेत्रीय विविधताओं के साथ रु 8,892–रु 1,6,622 प्रति माह आता है, जबकि जनवरी, 2016 के मूल्य स्तर पर रु 1,8,000 प्रति माह को 7^{वें} केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा वर्तमान कार्यप्रणाली का उपयोग करके गणना की गई; जो केंद्र की मोदी सरकार और अधिकांश राज्य सरकारें पहले ही स्वीकार और कार्यान्वित कर चुकी हैं; और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों ने इसे पूरे देश में सार्वजनिक और निजी सभी क्षेत्रों में लागू करने को प्रमुख मांगों में शामिल किया और इसके लिए देशव्यापी हड्डतालें की हैं।

वे कौन सी अभिनव विधियाँ थीं, जिनका इस्तमाल करके विशेषज्ञ समिति ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में लगभग आधे की कटौती कर दी (?) – (1) पहली, प्रति यूनिट प्रति दिन कैलोरी की मात्रा को 2700 से 2400 से कम करके; (2) दूसरे, खाद्य पदार्थों की बहुत कम कीमत लेकर; (3) तीसरे, वर्तमान पद्धति के अनुसार, ईधन, प्रकाश और विविध खर्चों के लिए कुल वेतन के 20% और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुल का 25% को हटाकर, और (4) जैसा कि वर्तमान पद्धति में (3), (4), (5) और (6)

के तहत मकान भाड़े सहित सभी गैर-खाद्य व्यय को हटाकर करके – दो व्यापक श्रेणियों में (क) आवश्यक गैर-खाद्य पदार्थ, जिसमें घर का किराया और (ख) गैर-खाद्य मदें षामिल हैं; और फिर अनुभवजन्य तरीकों और अनुमानों का उपयोग करके इन पर खर्चों की गणना करना है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न्यूनतम वेतन

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन और उसके समय को, दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन के 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना को नियोक्ता संगठनों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। और सीटू दिल्ली राज्य समिति एक हस्तक्षेपकर्ता पार्टी है।

31 अक्टूबर, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, अस्थायी रूप से न्यूनतम वेतन की अधिसूचना को बहाल कर दिया है और मामले के निपटान तक प्रभावी न्यूनतम वेतन को 1 नवंबर, 2018 से लागू करने का आदेश दिया है और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि अधिनियम के प्रावधान के तहत कड़ाई से न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन करें और इसकी सलाह पर न्यूनतम वेतन की अधिसूचना का एक नया मसौदा तैयार करें और छानबीन और अनुमोदन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें।

दिल्ली में एक अकुशल मजदूर के लिए अधिसूचित न्यूनतम वेतन, वर्तमान पद्धति के आधार पर जनवरी 2017 के मूल्य स्तर पर ₹० 1,4,000 प्रति माह है, जबकि इसके मुकाबले जनवरी 2019 के मूल्य स्तर पर विशेषज्ञ समिति के अनुसार ₹० 11,622 है। सुनवाई की अगली तारीख 2 जुलाई, 2019 है।

वेतन पर कोड लागू करने की चाल

सभी 44 मौजूदा श्रम कानूनों को बदलने का प्रस्ताव करने वाले चार श्रम कोडों में से पहला, वेतन पर कोड है जिसे अब भंग हो चुकी 16^{वीं} लोकसभा में रखा गया था। वेतन पर कोड बिल अन्य बातों के साथ ही साथ न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। न्यूनतम वेतन की गणना की वर्तमान पद्धति, न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करने का एक अभ्यास है। न्यूनतम वेतन अधिनियम को समाप्त करने के साथ, वर्तमान कार्यप्रणाली की भी कोई प्रासादिकता नहीं होगी। और विशेषज्ञ समिति की कार्यप्रणाली तब लागू की जाएगी।

न्यूनतम वेतन की गणना की विशेषज्ञ समिति की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन से केंद्र और राज्य सरकारों के 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन के लाभार्थी केन्द्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों के बारे में सवाल उठेगा। न्यूनतम वेतन पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू होने पर, क्या एन.पी.एस. के तरह ही सरकारों की नई भर्तियों के लिए भेदभाव होगा।

मोदी सरकार ने आने वाले दिनों में मजदूरों के न्यूनतम वेतन पर हमले के लिए, पहले ही आई.एल.ओ. को भी अपने साथ कर लिया है।

अमेरिका ने भारत को अपने हुक्मरानों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की धमकी दी

अमरीकी स्टेट सैक्रेटरी पोम्पिओ, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और भी खोलने और व्यापारिक वाधाओं को समाप्त करने, अमरीकी प्रतिरक्षा उपकरणों को भारत को बेचने के घोषित मकसद से, 25–26 जून को भारत के दौरे पर आ रहे हैं।

यह दौरा, अमरीका द्वारा मुक्त व्यापार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी के तौर भारत का दर्जा वापस पावस लेने और भारत द्वारा ईरान एवं वेनेजुएला से तेल की खरीद बन्द करने की धमकी देने के तुरन्त बाद हो रहा है।

अमरीका के द्वारा बाजू मरोड़ने का विरोध करने के बजाय भाजपानीत एन.डी.ए. सरकार इसके दबाव के समक्ष झुक रही है। 5 वामपंथी दलों सी.पी.आई.(एम.), सी.पी.आई.., सी.पी.आई.(एम.एल.) लिब्रेशन, ए.आई.एफ.बी. और आर.एस.पी. ने 20 जून को जारी संयुक्त बयान के द्वारा कहा है कि भारत की सम्प्रभुता, आत्मसम्मान और जनता के हितों की कीमत पर अमरीका के समक्ष कोई भी समर्पण स्वीकार्य नहीं है, और आम जनता का आहवान किया है कि वह भाजपा सरकार के द्वारा अमरीका के समक्ष भारत के हितों के समर्पण का डटकर विरोध करे और सरकार से ठोस माँग करे कि वह एक ऐसी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करे जो उत्साह के साथ हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित करती हो।

पश्चिम बंगाल

कार्वाहियों की रिपोर्ट

17वीं लोकसभा का चुनाव

पश्चिम बंगाल में 11 अप्रैल, से 19 मई, 2019 के दौरान 7 चरणों में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद, 11 मार्च को आयोजित सीटू राज्य परिषद की बैठक में भाजपा और टीएमसी को हराने और वाम मोर्चे के उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान किया गया। बैठक में राज्य में रह रहे कश्मीरी नागरिकों के साथ खड़े होने का भी निर्णय लिया गया, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें सीटू के साथियों के घरों में आश्रय दिया जाएगा क्योंकि वे कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद देश भर में भाजपा/आरएसएस और उनके संगठनों द्वारा हमलों की जद में हैं।

बढ़ती महंगाई, सरपट दौड़ती बेरोजगारी, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला, आम लोगों के जीवन और आजीविका पर हमला, न्यूनतम मजदूरी के रूप में ₹० 18,000 की मांग और सभी को पेंशन के रूप में ₹० 6000, किसानों के लिए एमएसपी और ऋण माफी, और जाहिर तौर पर भाजपा और मोदी सरकार द्वारा सांप्रदायिक धर्वीकरण का खतरनाक एजेंडा; और लोकतंत्र पर हमला, राज्य में अपराधीकरण, सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं का भ्रष्टाचार और राज्य प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता आदि अभियान में मुख्य मुद्दे थे।

चाय, जूट, परिवहन, बिजली, इंजीनियरिंग, फार्मस्यूटिकल्स, स्कीम वर्कर और कई अन्य उद्योगों में और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच भी, औद्योगिक क्षेत्रों में गेट मीटिंग, मुहल्ला बैठकें, जिलों में यूनियनों की जी.बी. बैठकें की गयी थीं। अभियान के लिए जिलों एवं यूनियनों के नेतृत्व के लिए बंगाली और हिंदी में “टॉकिंग पॉइंट्स” पर पुस्तिका की 5000 प्रतियां, 4.38 लाख पोस्टर और 9.62 हैंडबिल / पम्पलेट छपे और वितरित किए गए; जिला कमेटियों और यूनियनों द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार किए गए सैकड़ों होर्डिंग्स, बैनर, फ्लेक्स के अलावा बंगाली में विशेष समाचार बुलेटिन की 60,000 प्रतियां निकाली गईं। मई दिवस की तैयारी अभियान के अलावा, बीजेपी और टीएमसी को हराने के लिए और वाम उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान के लिए जिलों और यूनियनों द्वारा पर्चे / पोस्टर छापकर वितरित किए गए।

पिछले संसदीय चुनाव में 8 वाम उम्मीदवार और विधानसभा उपचुनाव में 2 वाम मोर्चे के उम्मीदवार सीटू से थे। लेकिन हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, बीजेपी के तेज सांप्रदायिक धर्वीकरण और टीएमसी द्वारा प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि में राज्य से कोई भी वामपंथी उम्मीदवार नहीं जीत सका; भाजपा और टीएमसी दोनों द्वारा धन और गुणागर्दी की ताकत और हिंसा का अभूतपूर्व उपयोग किया गया। जिलों और यूनियनों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करके स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

मई दिवस 2019 का उत्सव

पूरे राज्य में मई दिवस 2019 पूरी लगन और उत्साह के साथ मनाया गया। सीटू का झंडा फहराने के बाद मई दिवस की बैठकें हुईं और जिलों में रैलियां निकाली गईं। कोलकाता में, सीटू राज्य केंद्र में झंडा फहराया गया, जिसमें नेताओं और सदस्यों ने भाग लिया। दोपहर में, शहीद मीनार मैदान में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से 10,000 मजदूर मजदूरों की रैली और जनसभा आयोजित की गई, जिसे सीटू के अखिल भारतीय महासचिव तपन सेन द्वारा संबोधित किया गया।

संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन

मोदी सरकार –2 के नवउदाराचारी खाके के तहत 46 पीएसयू के विनियेष की घोषणा, श्रम कानूनों में संशोधन, भूमि कब्जाने और अन्य दुर्जय डिजाइनों के खिलाफ, एआईयूटीयूसी और बीएमएस को छोड़कर, सीटू इंटक, एचएमएस और अन्य वामपंथी ट्रेड यूनियनों द्वारा 4 जून को संयुक्त रूप से एस्प्लानेड में एक खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। जिलेवार जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सामने इस तरह के संयुक्त सम्मेलन और रैलियां जून में निर्धारित की गयी हैं और ज्ञापन दिये जाएंगे, प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री को विरोध पत्र भेजने हैं। यूनियन स्तर पर इस तरह के संयुक्त आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

त्रिपुरा

कार्वाहियों की रिपोर्ट

शंकर प्रसाद दत्ता

17वां आम चुनाव

त्रिपुरा में भाजपा—आईपीएफटी सरकार की स्थापना के तुरंत बाद, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। आगजनी, बगीचे, धान के खेत, घरों और दुकानों में लूटपाट व तोड़फोड़ नियमित घटना बन गए हैं। सैकड़ों वाम समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को बुरी तरह पीटा गया और उनके स्थानों से भगा दिया गया। पिछले 13 महीनों से यह तस्वीर है। गिरावट इस हद तक हो गई है कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के गुंडों के खिलाफ कोई एफ आई आर भी दर्ज करने से इनकार कर रहा है।

इस तरह की पृष्ठभूमि में, 17वां आम चुनाव आयोजित किया गया था। सीटू ने चुनाव को एक बड़े संघर्ष के रूप में लिया। आतंक के बावजूद, कार्यकर्ता राज्य भर में चुनावी गतिविधियों में कूट पड़े, रैलियों, सभाओं आदि का आयोजन करने की कोशिश की। इसके विपरीत, केंद्र सरकार की मशीनरी ने राज्य प्रायोजित गुंडों के साथ मिलकर वामपंथी ताकतों पर हमला किया। 11 अप्रैल को पहले मतदान के दिन, भाजपा के नेतृत्व वाले उपद्रवियों ने पचास प्रतिशत से अधिक बूथों पर कब्जा कर लिया और चुनाव में धांधली की। उन्होंने जबरन मतदाताओं, पोलिंग एजेंटों को भगा दिया। कुछ जगहों पर मतदाताओं को घरों में कैद करके रखा गया था। स्थिति ऐसी थी कि चुनाव आयोग को त्रिपुरा पूर्व (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव को दूसरे चरण के लिए टालना पड़ा और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एडीजी को हटा दिया गया। पहले चरण के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 168 बूथों पर फिर से मतदान करने का आदेश दिया और उस निर्वाचन क्षेत्र के आर ओं को बदल दिया गया।

वाम मोर्चा शासन के दौरान, चुनाव एक निष्पक्ष एवं उत्सव के तौर हुए थे। इस बार, सत्तारूढ़ समर्थकों के बीच भी, यह एक बुरा सपना था। इस प्रकार भाजपा ने सभी लोकतांत्रिक मानदण्डों को कुचलते हुए दोनों सीटें जीतीं।

23 मई को मतदान का परिणाम घोषित होने के बाद हमला तेज कर दिया गया है। सीपीआई (एम) पीबीएम और विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने एक टीम का नेतृत्व किया और इस तरह की अराजकता को रोकने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि, उन्हे मुख्यमंत्री द्वारा कदम उठाने का आश्वासन दिया गया, फिर भी राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी को रोकने का कोई संकेत नहीं है।

इस पृष्ठभूमि में, मजदूर वर्ग के आंदोलन को एकजुट होने में कुछ और समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से एकजुट होना होगा क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है।

सीटू राज्य संगठनात्मक स्थिति

यह सभी जानते हैं कि त्रिपुरा राज्य और विशेष रूप से मजदूर वर्ग गंभीर हमले के अधीन है। विभिन्न उपखंडों में अधिकांश सीटू कार्यालयों को या तो ध्वस्त कर दिया गया या बीएमएस या उन्नयन मंच द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। मजदूर वर्ग तक पहुँचने के लिए सामान्य गतिविधियाँ बेहद कठिन हैं। इस असामान्य स्थिति के तहत, सीटू राज्य समिति सदस्यता को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है और अब तक, 57,000 सदस्यता रिटर्न और संबद्धता भेजी जा सकी है।

मई दिवस 2019 मनाया गया

भाजपा—आईपीएफटी गठबंधन द्वारा फैलाए गए आतंक के माहौल के बावजूद मई दिवस 2019 पूरे राज्य में मनाया गया। राज्य मुख्यालय अगरतला में, रवीन्द्र शताब्दी भवन के सामने बड़े पैमाने पर लामबंदी का आयोजन किया गया था। बैठक को त्रिपुरा राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा—आरएसएस और उनके सहयोगियों द्वारा देश के सभी तबकों की जनता पर सुनियोजित हमले के बारे में बताया। सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य केवल कॉरपोरेट और अपने विदेशी दोस्तों की सेवा करना है। परिणामस्वरूप उनका हमला सीधे तौर पर मजदूर वर्ग के साथ—साथ अन्य तबकों की जनता पर भी होगा।

इसलिए, इस वर्गीय हमले का विरोध करने के लिए और देश में एक नए सामाजिक व्यवस्था को उन्मुख करने के लिए विशेष रूप से समाज के अन्य वर्गों को संगठित करने को मजदूर वर्ग के कर्तव्यों और कार्यों को शामिल किया गया है। बैठक को सीटू के प्रदेश अध्यक्ष माणिक डे, महासचिव शंकर प्रसाद दत्ता और जया सरमन ने भी संबोधित किया। (शंकर प्रसाद दत्ता, सीटू त्रिपुरा राज्य महासचिव हैं)

दिल्ली

बच्चों की मौत के खिलाफ बिहार भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन

एडवा, सीटू, डी.वाई.एफ.आई. एस.एफ.आई. और डी.एस.एम.एम. की दिल्ली राज्य इकाइयों ने हाल ही में बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के अस्पताल में एन्सेफलाइटिस महामारी के कारण 107 बच्चों और घरों में बेहिसाब मौतों की रोकथाम में भाजपा-जद (यू) सरकार की पूर्ण विफलता के खिलाफ 18 जून को नई दिल्ली के बिहार भवन पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन का किया। यह सरकारी अस्पतालों में भारी संरचनात्मक कमियों और महामारी को रोकने में सरकार के लचर रवैए को दर्शाता है।

इसके अलावा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहते हुए अपनी घृणित असंवेदनशीलता प्रदर्शित की कि 'यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है' और बिहार की जनता के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में अपनी पूरी विफलता दिखाई। ये मौतें, कुपोषित बच्चों की हैं जो ज्यादातर बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं, राज्य की जनता के हाशिए पर पड़े तबकों के लिए पीडीएस के ढह जाने और अन्य आर्थिक मापदंडों के अभाव को भी उजागर करती हैं।

प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार सरकार के बिहार भवन में ओएसडी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर तत्काल निवारक उपायों, अस्पताल सेवाओं में सुधार, बीपीएल परिवारों को पोषण आहार की आपूर्ति और वित्तीय सहायता और प्रभावित परिवारों को मुआवजे की माँग की।

बिहार भवन के बाहर, प्रदर्शनकारियों को एडवा की राष्ट्रीय महासचिव मरियम धवले और राज्य के नेताओं – आशा शर्मा (एडवा), वीरेंद्र गौर (सीटू), उत्कर्ष (एसएफआई) और ब्रह्मजीत (डीएसएमएम) ने संबोधित किया।

ओडिशा

सीटू नेता ने विधानसभा चुनाव जीता

ओडिशा राज्य विधानसभा चुनाव में ओडिशा राज्य सीटू के उपाध्यक्ष लक्ष्मण मुंडा को सीपीआई (एम) के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, जो अप्रैल – मई, 2019 में 17^{वीं} लोकसभा चुनाव के साथ-साथ हुए थे।

यह तीसरी बार है जब सुंदरगढ़ जिले के बोनाई (एसटी) सीट से लक्ष्मण मुंडा निर्वाचित हुए हैं। इस आदिवासी बहुल जिले में समृद्ध खनिज संसाधन और लौह अयस्क और अन्य खानों और राउरकेला इस्पात संयंत्र में मजदूरों की बड़ी संख्या है।

इस निर्वाचन क्षेत्र में 94.33% ग्रामीण और 5.67% शहरी आबादी है, जिनमें से 67.79% एसटी हैं। लक्ष्मण मुंडा खदान मजदूरों के बीच निर्विवाद नेता हैं, जिनमें ज्यादातर आदिवासी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला मजदूर हैं, जो सभी सीटू के सदस्य हैं। लक्ष्मण मुंडा के नेतृत्व में, सीटू ने मजदूरों के मुद्दों पर कई सफल संघर्षों का नेतृत्व किया, मजदूरों-किसानों ने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों और रोजगार के लिए एकजुट संघर्ष किया।

लक्ष्मण मुंडा ने अपने निकटतम प्रतिव्वादी, सत्तारूढ़ नवीन पटनायक की पार्टी, बीजेडी के उम्मीदवार को वोटों के बड़े अंतर से हराया – 2014 में 1,818 से 2019 में 12,000 से अधिक हैं। बीजेपी उम्मीदवार का काफी दूर तीसरा स्थान था। लक्ष्मण मुंडा ने भी 2019 में 39,125 (23.98%) से 20,000 और 10% से अधिक की वृद्धि के साथ अपने वोटों को 59,939 (34.69%) तक बढ़ाया। (द्वारा: रमेश जैन)

अंतर्राष्ट्रीय

108वाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

10&21 जून 2019

{सीटू की ओर से उसके राष्ट्रीय सचिव ई. करीम ने इसमें भाग लिया}

उच्च एफ टी यू महासचिव जार्ज मावरिकोस के भाषण से

आइ एल ओ की स्थापना के 100 वर्ष इस साल पूरे हुए हैं, और यह एक अवसर है विश्व के मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का, परिणामों का आकलन करने के लिए जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन की ओर से निष्कर्ष निकालने का।

हमारा विश्वास है कि आइ एल ओ का इतिहास दो प्रमुख चरणों में बंटा हुआ है – इसकी स्थापना से 1990 तक और 1990 से आज तक।

I

पहले चरण में इसने आमतौर पर एक सकारात्मक भूमिका अदा की और मजदूरों के अधिकारों की हिफाज़त के तंत्र के रूप में कार्य किया। सोवियत यूनियन, चीन, कई अन्य समाजवादी देशों व गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन की निर्णायक भूमिका के साथ ताकतों के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन ने आइ एल ओ की यह भूमिका निभाने में मदद की। इस अनुकूल शक्ति संतुलन के पास एक महत्वपूर्ण सहयोगी था – अग्रणी भूमिका वाला, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन। उनके साथ सभी मजदूरों का महान वर्ग संघर्ष था।

सामूहिक सौदेबाजी समझौते, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक खर्च, कामकाजी महिलाओं को बेहतर वेतन व काम के हालात, कार्य का समय, वेतन वृद्धि, जनवादी व ट्रेड यूनियन आजादी में प्रगति जैसी उपलब्धियों को हासिल करने में मिली सफलता इन बदली परिस्थितियों का परिणाम थी। दुनिया के हर कोने में ट्रेड यूनियनें स्थापित हुई थीं। आधुनिक भाड़े के कलम घिस्सुओं द्वारा कितनी ही स्याही क्यों न खर्च कर दी जाये, सच हमेशा सामने रहेगा।

II

1989–1991 की उलट-पलट और बदलावों के बाद, आइ एल ओ की स्थिति व भूमिका के साथ ही सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भी बदल गई। 1990 से पहले नियोक्ता आइ एल ओ के बारे में सुनना नहीं चाहते थे। अब वे उसे अपना सहयोगी व मित्र समझते हैं। क्यों?

इसकी सच्चाई कार्यस्थलों में है जहाँ मजदूर, राज्य की हिंसा और निरंकुशता से, बेरोजगारी व छंटनी से, ब्लैक लेबर से, निजीकरण से, गरीबी से व पूंजीवादी बर्बरता से पीड़ित हैं। सच भूमध्यसागर में है जहाँ, साम्राज्यवादी आकामण से दूर भागने के प्रयासों में माँ व बच्चे ढूँढ़ रहे हैं। यह तस्वीर भी आइ एल ओ द्वारा निभायी भूमिका और ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेतृत्व के भीतर की वर्तमान स्थिति का परिणाम है।

क्यूंकि 1960 से नाकेबंदी जारी है; अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या किया? 13 मई, 2014 को तुर्की के सोमा में 301 मजदूरों की मौत हुई; अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या किया? बांग्लादेश की राणा प्लाजा फैक्टरी में 24 अप्रैल 2013 को 1,132 लड़कियों व महिलाओं की हत्या हुई; आइ एल ओ ने क्या किया? कोलम्बिया में पिछले तीन वर्षों में 600 जुझारू ट्रेड यूनियन कर्मियों की हत्या हुई है; इन अपराधों के लिए किसे सजा दी गई? चिली में सरकार ने जनतंत्र विरोधी तरीकों से सी ए टी की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को दबाया; आइ एल ओ के जिम्मेदार कार्यालय ने क्या किया? फिलस्तीन, सीरिया, इराक व यमन में साम्राज्यवादियों से मजदूरों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया है? सिर्फ बातें। तस्वीर यह है।

आज, राज्याध्यक्ष यहाँ आकर हमें बताते हैं कि काला, काला नहीं सफेद है। श्रीमान मेकरॅन जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और उन्हें पीटा, जिन्होंने सेंट्राले ए चारबॉन डे गारडाने से 1000 मजदूरों को बाहर किया, उनकी पार्टी के संसद सदस्य श्रीमान

मोहम्मद लकीला जिहोने यू डी सी जी टी 13 के ट्रेड यूनियन केंद्र के काम—काज को बंद करने की धमकी दी, कुछ दिन पहले यहाँ आये और हमें एक झूठी वास्तविकता बयान की। श्रीमान मेकरॉन और श्रीमति मारकेल दोनों ही आज आइ एल ओ अपनी नीतियों के पक्षधर एक वैचारिक तंत्र के रूप में देखते हैं। सच यह है। यह है वास्तविक तस्वीर। इसके साथ ही वे अपनी मजदूर विरोधी नीतियों के साथ वे नव—फासीवाद और विदेशियों के प्रति द्वेष को मजबूत करते हैं।

III

केवल आज के मजदूरों के एकजूट वर्गोंनुख संघर्षों के द्वारा ही जमीन पर यूनियनों को मजबूत कर, ट्रेड यूनियन जनवाद को समर्प्त कर इस तस्वीर को बदला जा सकता है और इसे अवश्य ही बदला जाना चाहिये। उम्मीद हमारे संघर्षों में मौजूद है।

राजनीतिक दक्षिणपंथियों को आइ एल ओ का समर्थन; वेनेजुएला में किया वेतन वृद्धि का विरोध

जे.एस. मजुमदार

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ), भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गणना के तौर—तरीके का निर्धारण करने के मामले में, मोदी सरकार द्वारा नियुक्त तथाकथित ‘विशेषज्ञ समिति’ का हिस्सा बन गया। उसने बड़ी आसानी से तमाम मौजूदा त्रिपक्षीय मंचों तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत मौजूदा कानूनों को नजरअंदाज कर दिया।

यह 15^{वीं} भारतीय श्रम सम्मेलन (आइ एल सी) था जिसने न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके के बारे में फैसला लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देकर कानूनी आधार दिया और जिसे 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग व न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत गठित त्रिपक्षीय न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा लागू किया गया।

सरकार व आइ एल ओ की विशेषज्ञ समिति ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट दी तथा सरकार ने जाहिर है राजनीतिक उद्देश्य के मकसद से, इसे 17 वीं लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले 14 फरवरी, 2019 को प्रकाशित किया। आइ एल ओ ने अपने आपको भारत में शासक दल के चुनाव पूर्व राजनीतिक अभियान में शामिल कर लिया।

लेकिन, इसी आइ एल ओ ने 21 मार्च 2018 को, 20 मई 2018 को वेनेजुएला में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले, ‘फीडम ऑफ एसोसिएशन’, ‘त्रिपक्षीय परामर्श’ के आइ एल ओ के कन्वेंशन का पालन न करने के तथाकथित आरोप व एकतरफा तरीके से मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए मदुरों सरकार की निंदा करते हुए एक जाँच समिति गठित की। यहाँ आइ एल ओ एक चुनाव पूर्व राजनीतिक मुद्दे पर मदुरों सरकार के विरोधियों के पक्ष में शामिल हुआ।

आइ एल ओ ने शिकायत के बारे में अपने बयान में स्पष्ट रूप से जिक किया कि “मालिकों के संगठन—फेडेकामाराज” — उसके नेताओं व संबद्धों पर कथित हमलों, उत्पीड़न, आक्रमण व उसकी साख को धूमिल करने के लिए अभियान।” रायटर के मुताबिक आइ एल ओ ने कानूनों व बिना नियोक्ताओं व मजदूरों के प्रतिनिधियों से परामर्श किये न्यूनतम वेतन में वृद्धि का आरोप लगाया।

इसके उत्तर में वेनेजुएला के उप श्रममंत्री जोस रेमोन रिवेरो ने आइ एल ओ को बताया, “हम सरकार के विरुद्ध जाँच आयोग बनाने के प्रति स्पष्ट रूप से अपनी असहमति जाहिर करते हैं” और “हमें अफसोस है कि फेडेकामाराज के प्रवक्ता हमारे देश के विपक्ष के एक और गैर जनतांत्रिक धड़े के साथ मिलकर 20 मई को होने वाले म्यूनिसिपल, क्षेत्रीय व राष्ट्रपति चुनावों में गड़बड़ी की साजिश कर रहे हैं।”

‘फेडेकामाराज’ (वेनेजुएलन फेडरेशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ कार्मस एंड प्रोडक्शन) इसका प्रमुख बिजनेस एसोसिएशन है। वह पूर्व राष्ट्रपति व्यूगो शावेज के समय से राजनीतिक रूप से विरोधी रहा है। शावेज के खिलाफ अप्रैल 2002 में एक असफल तख्ता पलट की कोशिश के दौरान फेडेकामाराज के पूर्व अध्यक्ष पेड्रोकेमोना ने अपने आपको दो दिन के लिए वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना लिया था।

फेडेकामाराज के आरोपों तथा आइ एल ओ के राजनीतिक हस्तक्षेप व चुनाव के पूर्व जाँच आयोग बनाने के बावजूद, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, जो एक पूर्व बस ड्राईवर हैं और अपने आपको गर्व से मजदूर—राष्ट्रपति कहते हैं, 20 मई 2018 के चुनाव में 67.84 प्रतिशत मतों के भारी बहुमत के साथ पुनः निर्वाचित हुए। चुनावों के एक वर्ष से कम के भीतर ही, दक्षिणपंथियों ने 23 जनवरी 2019 को तब तख्तापलट करने की कोशिश की जब वेनेजुएला की नेशनल असेम्बली (अब काम नहीं कर रही) के अध्यक्ष जुआन

गेरार्डो गुवाइडो ने फेडेकामाराज और अमेरिकी नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी साजिशकर्ताओं की पूरी मदद से अपने आपको बोलिवारियन गणतंत्र का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' होने का दावा किया।

सीटू तथा वास नेतृत्व वाली भारत की ट्रेड यूनियनों समेत दुनिया के विभिन्न भागों से कितने ही ट्रेड यूनियन संगठनों तथा सामाजिक आंदोलन तथा पलट की इस कोशिश तथा गुवाडियों द्वारा अपने आपको बोलिवारियन गणतंत्र का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' होने का दावा करने की घोर निंदा की।

मोदी सरकार-2

कारपोरेटों को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये की सौगात

दूसरी बार सत्ता में आने के फौरन बाद मोदी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के खाते से कारपोरेटों को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये की सौगात दे दी।

ईएसआइसी, एक स्व-वित्तपोषी सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य बीमा योजना है जो वर्तमान में 12 लाख औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लगभग 3.6 करोड़ मजदूरों के लिए है और जो ईएसआइ अधिनियम, 1948 के तहत त्रिपक्षीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित होती है।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने 13 जून के एक बयान में नियोक्ताओं के ईएसआई अंशदान को मौजूदा 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत करने की घोषणा कर इसे सीधे 1.5 प्रतिशत कम कर कारपोरेटों को सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का लाभ दे दिया।

सीटू ने 14 जून को जारी अपने बयान में सरकार के इस एकतरफा व मनमाने फैसले की घोर निंदा करते हुए इसे ईएसआई के त्रिपक्षीय निकाय के फैसले का घोर उल्लंघन बताया। ईएसआई ने 18 सितम्बर, 2018 की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से पुनर्निधारण करते हुए नियोक्ताओं के अंशदान को 4.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत और कर्मचारियों के अंशदान को 1.75 प्रतिशत से 1 प्रतिशत (दोनों के लिए 0.75 प्रतिशत कम) कर इसे कुल 5 प्रतिशत वार्षिक करने का फैसला लिया था। तदनुसार, राय माँगते हुए गजट अधिसूचना जारी की गयी और उसी आधार पर 19 फरवरी, 2019 को हुई ईएसआई की गवर्निंग बॉडी की केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईएसआई का वित वर्ष 2019–20 का बजट पास किया गया।

नई सरकार के सत्ता संभालते ही उसी श्रम मंत्री ने नियोक्ताओं के अंशदान में और कटौती कर इसे 3.25 प्रतिशत तथा मजदूरों के अंशदान को 0.75 प्रतिशत कर इसे कुल 4 प्रतिशत की घोषणा कर दी जो गवर्निंग बॉडी के सर्वसम्मत फैसले का घोर उल्लंघन है।

कुल मिलाकर, ईएसआई में नियोक्ताओं के अंशदान को 1.5 प्रतिशत घटा दिया गया जबकि कर्मचारियों के अंशदान में केवल 1 प्रतिशत की कमी की गई। इससे नियोक्ताओं को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का सालाना भारी फायदा होगा।

सीटू ने कहा है कि नियोक्ताओं की लॉबी को फायदा पहुँचाने का सरकार का कुटिल मकसद इस तथ्य से और स्पष्ट हो जाता है कि ईएसआई गवर्निंग बॉडी की त्रिपक्षीय स्टैंडिंग कमेटी की 13 जून की बैठक में सरकार के ऐसे फैसले के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था जबकि अंशदान में कमी की घोषणा उसी शाम की गई। इस मनमाने फैसले में, गवर्निंग बॉडी के फैसले के घोर उल्लंघन व गजट अधिसूचना में श्रम मंत्रालय शामिल रहा है।

सरकार द्वारा, ईएसआई फंड में वृद्धि का दावा, दावेदारी वेतन की सीमा के 1 जनवरी 2017 से 15,000 से बढ़कर 21,000 किये जाने के चलते ईएसआई पंजीकरण में वृद्धि के कारण है। फंड में वृद्धि से मुख्यतः नियोक्ताओं को फायदा मिल रहा है जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं रही है। बल्कि इससे ईएसआई के समक्ष लाभार्थियों की बढ़ी संख्या के कारण उसकी सामाजिक सुरक्षा व चिकित्सा लाभ की जिम्मेदारी को पूरा करने में गंभीर समस्या होगी।

सीटू राजग-2 सरकार द्वारा कारपोरेट लॉबी के हित में लिए गये इस मनमाने कदम की कड़ी निंदा करता है तथा ईएसआई अंशदान के बारे में गवर्निंग बॉडी के फैसले पर अमल किये जाने की माँग करता है।

vks| kfxd Jfedks ds fy, mi HkkDrk eW; I pdkd vk/kkj o"kl 2001=100

ua 112@6@2006&, ul hi hvkbz

jkt;	dnz	ekpl		jkt;	dnz	ekpl	
		2019	2019			2019	2019
vkdk i ns k	xq Vj fot; ckMk fo'kk[ki Ykue	287 291 291	288 291 290	महाराष्ट्र	मुम्बई ukxi j ukfl d	302 387 386	305 357 357
vl e	MpMek frul f[k; k xpkglVh ycd fl Ypj efj; ku h tkgkV j@ki kjk rsti j	272 272 270 255 248	273 273 273 256 250	mMhI k	i q ks 'kkski j vkxq&rkypj jkmj dsyk i kfMpfj	329 324 326 308 313	331 324 328 309 312
fcgkj	e@kj & tekyi j	334	340	i atkc	ve'l j	333	332
p. Mhx<+	p. Mhx<+	305	307		tkyl/kj	318	319
NYkh x<+	flikykbz	323	323	jktLFku	yf/k; kuk	291	292
fnYyh	fnYyh	293	297		vtej	284	286
Xkksvk	xksvk	329	329		HkhyokMk	283	288
Xkptjkr	vgenkckn	278	279		t; ij	299	302
	Hkkouxj	292	293	rfeuykMq	psuS	278	276
	jkt dkv	296	297		dkl EcVj	282	282
	I j r	266	268		d@uj	325	325
	oMknjk	274	275		enj kbz	292	294
gfj ; k. kk	Qjhkckn ; e@k uxj	272 290	274 291		I sye	287	287
fgekpy	fgekpy cns k	266	267	rsyakuk	fr#fpj ki Yyh	296	293
tEw , oa d' ejj	Jhuxj	278	279		xknkojh[kkuh	321	321
>jj [k. M	ckdkjk	294	297		ghjkckn	257	258
	fxfj Mhg	343	342	f=i jk	okjxjy	314	315
	te'knij	348	351	mYkj cns k	f=i jk	258	259
	>fj ; k	356	358		vkxjk	349	351
	dkMekl	381	376		xklt; kckn	336	339
	j kph gfV; k	376	381		dkuij	335	340
duklvd	csyxke	303	306		y[kuA	328	334
	cxy#	292	295	i f pe caky	okj k. kl h	323	325
	gcyh /kj okM+	324	326		vkli ul ky	330	332
	ej djk	307	306		nkftiyk	272	272
	e@ j	309	308		nkklj	325	329
dj y	, . kldlye@vyobz	314	314		gfyn; k	336	337
	eq MkD; ke	308	310		gkoMk	281	285
	fDoyku	357	356		tkyikbxMh	277	277
e/; cns k	Hkkd ky	322	324		dkydkrk	285	288
	fNnokMk	302	304		jkuhxat	285	288
	bnkj	278	280		fl yhxmh	276	276
	tcyij	316	317		vf[ky Hkkj rh; I pdkd	307	309

सीटू का मुख्यपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए
- एजेंसी
- भुगतान

वार्षिक ग्राहक शुल्क – ₹ 100/-

कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;

चेक द्वारा – “सीटू मजदूर” जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा,

नई दिल्ली-110002 पर देय

बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीनो 0158101019568;

आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;

ई मेल/पत्र की सूचना के साथ

प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,

13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002; ईमेल: citubtr@gmail.com

फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

• संपर्क:

बिहार में बच्चों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन



दिल्ली में बिहार भवन के समक्ष प्रदर्शन (रिपोर्ट पृ. 22)

कल्याण योजना के ऑन लाइन पंजीकरण के खिलाफ निर्माण मजदूरों का विरोध



भवन निर्माण कामगार यूनियन, हरियाणा ने 20 जून को कल्याण योजना के ऑन लाइन पंजीकरण के विरोध में जीद जिले के मिनी सचिवालय में डिस्ट्री कमिश्नर के समक्ष रैली आयोजित की, प्रदर्शन और धरना दिया। रैली को उनकी राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष सुखबीर सिंह और अन्य लोगों ने संबोधित किया।

भारत में पहली संगठित ट्रेड यूनियन



मद्रास लेबर यूनियन, 1918

सीटू के प्रथम सम्मेलन की झलकियाँ, कोलकाता, 1970



(ऊपर बांधे से) (1) झांडा रोहण; (2) प्रतिनिधियों का एक समूह; (3) पी. राममृति एकता और संघर्ष पर प्रस्ताव रखते हुए; (4) बी.टी. रणदिवे जनसभा को संबोधित करते हुए

(सौजन्य से : श्रमिक अंदोलन, कोलकाता, मई 2019)